INTERVIEW PREPARATION

CURRENT AFFAIRS

By Shridhant Joshi Sir

MD, Kautilya Academy

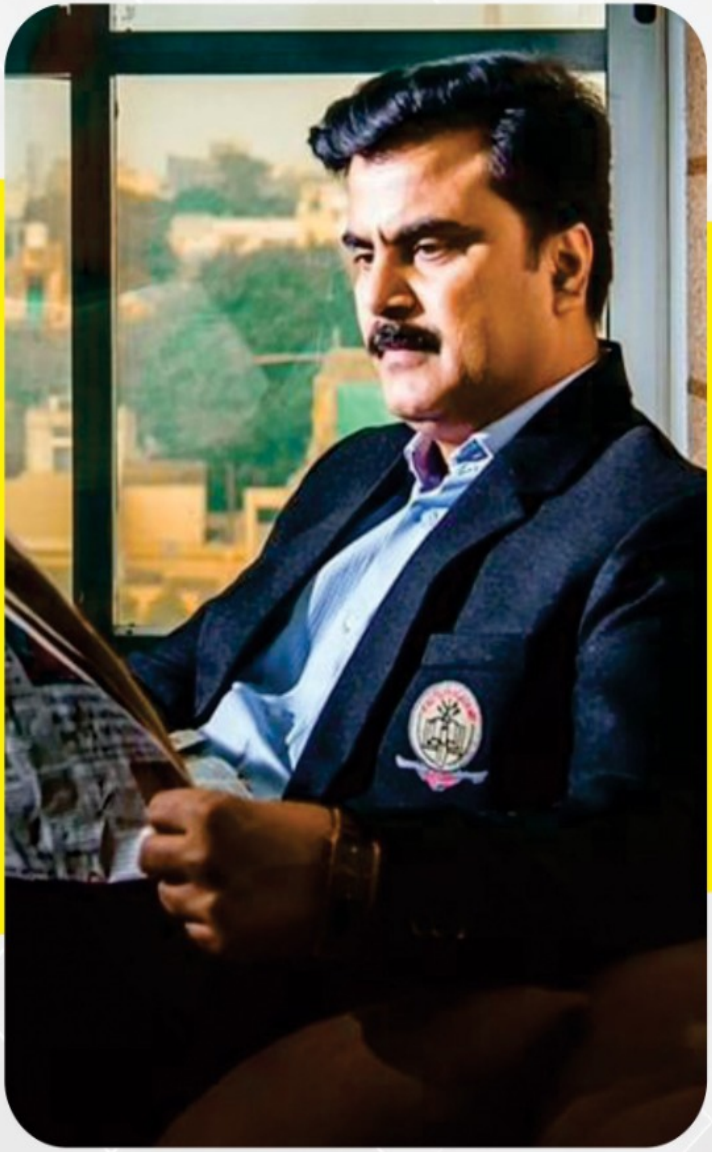

कौटिल्य एकेडमी

IAS, IPS, IRS, MPPSC & OTHER STATES PCS

www.kautilyaacademy.com, www.kautilyaacademy.in

Mob : 9425068121, 9893929541

कृषि चुनौतियां और आर्थिक परिदृश्य

केसी त्यागी
बिशन नेहवाल

सुस्त कृषि क्षेत्र के साथ मजबूत जीडीपी विकास दर के विरोधाभास पर तत्काल ध्यान देने और लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता है। मूल कारणों को संबोधित करना, प्रभावों को कम करना और व्यापक सुधारों और निवेशों के साथ आगे बढ़ने का रास्ता तैयार करना भारत के लिए अधिक लचीले, समावेशी और टिकाऊ आर्थिक भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

हाल ही में आए राष्ट्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वन मंत्रालय के ताजा आंकड़ों में 2023-24 की दूसरी तिमाही में भारत की 7.7 फीसद सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर एक मिश्रित तस्वीर पेश करती है। समवर्ती रूप से, जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान कृषि क्षेत्र की विकास दर में उल्लेखनीय मंदी, जो 2.5 फीसद से घटकर मात्र 1.2 फीसद रह गई, इस आर्थिक उछाल की स्थिरता और समावेशिता के बारे में चिंता पैदा करती है। कृषि क्षेत्र में मंदी का सीधा असर किसानों पर पड़ता है। कम विकास दर से किसानों की आय में कमी आती है, जिससे उनकी आर्थिक कमजोरी बढ़ती है। उर्वरक और उपकरण खरीदने सहित अपने परिचालन खर्चों को पूरा करने के लिए किसानों को कर्ज पर निर्भर रहना पड़ता है। समय के साथ, अप्रत्याशित मौसम पैटर्न, फसल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और अपर्याप्त संस्थागत समर्थन के कारण कर्ज का चक्र और भी गहरा हो गया है। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कृषि कर्ज पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए नाबार्ड से उपलब्ध जो आंकड़े पेश किए, उसके अनुसार मौजूदा समय में देश के सभी तरह के बैंकों का करीब सोलह करोड़ किसानों पर इक्कीस लाख करोड़ रुपए का कर्ज है और इन सोलह करोड़ किसानों पर इस कर्ज को बराबर में बांट दिया जाए तो प्रति किसान कर्ज 1.35 लाख रुपए हो जाता है।

राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा कर्ज राजस्थान के किसानों पर है। आंकड़ों के अनुसार 99.97 लाख किसानों ने बैंकों से कर्ज लिया है। इस कर्ज की रकम 1.47 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में 1.51 करोड़ किसानों ने बैंकों से कर्ज लिया है और उनके कर्ज की रकम 1.71 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। गुजरात में भी 47.51 लाख किसानों ने कर्ज लिया है, जो एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है।

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में कृषि की महत्त्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, इस क्षेत्र में मंदी देश की बढ़ती आबादी की आहार संबंधी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता के बारे में चिंता पैदा करती है। इससे खाद्य सुरक्षा और पोषण संबंधी कल्याण प्राप्त करने के व्यापक लक्ष्य के लिए जोखिम पैदा हो गया है।

भारत में कृषि क्षेत्र रोजगार का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है। इसकी विकास दर में गिरावट न केवल किसानों को प्रभावित करती, बल्कि ग्रामीण श्रम बल पर भी व्यापक प्रभाव डालती है, जिससे संभावित रूप से बेरोजगारी और अल्परोजगार में वृद्धि होती है। 2004-05 में कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन का कुल मिलाकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में योगदान 21 फीसद था। पिछले अठारह वर्षों में यह घटकर लगभग सोलह फीसद रह गया है। लेकिन खेतों में कार्यबल की संख्या में उस हिसाब से गिरावट नहीं आई है। कृषि देश में लगभग 55 फीसद कार्यबल को रोजगार देती है। इस क्षेत्र में अनुमानित 26 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। यानी लगभग 55-57 फीसद आबादी की कृषि पर निर्भरता है, जो वर्तमान सरकार के दौरान लंबे समय से संकट में है।

मौजूदा सरकार के तमाम दावों के बावजूद किसानों को उनकी खेती से लाभकारी मूल्य तो दूर की बात, पारिश्रमिक भी नहीं मिल पा रहा है। कृषि क्षेत्र की विकास दर में उल्लेखनीय मंदी, पिछली अठारह तिमाहियों के सबसे निचले स्तर पर है, जो चिंता का विषय है। कृषि क्षेत्र के प्रदर्शन का देश की समग्र व्यापक आर्थिक स्थिरता पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। इस महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में मंदी उपभोक्ता भावना को कमजोर कर सकती है, जिससे व्यापक अर्थव्यवस्था में मांग और आपूर्ति की गतिशीलता प्रभावित हो सकती है। इस साल अनियमित मानसून अल-नीनो के कारण फसलों की पैदावार पर असर पड़ा है, जिसके आगे भी बने रहने की संभावना है।

कृषि क्षेत्र में सुस्त वृद्धि के लिए कई कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अनियमित मौसम पैटर्न, अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं और आपूर्ति श्रृंखला में चुनौतियों ने सामूहिक रूप से सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में लगातार योगदान देने की कृषि क्षेत्र की क्षमता में बाधा उत्पन्न की है। इसके अलावा, लागत और उत्पादन में लगातार बढ़ता अंतर, वाजिब न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलना, किसानों का बढ़ता कर्ज और आत्महत्याएं भी प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं। सरकार के तमाम दावों के बावजूद परिवहन और भंडारण सुविधाओं सहित अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, कृषि आपूर्ति श्रृंखला में एक बाधा बना हुआ है। इन कमियों के कारण फसल कटाई के बाद,

किसान को स्थानीय व्यापारियों और बिचौलियों को कम दाम पर अपनी फसल बेचने को बाध्य होना पड़ता है। इससे किसानों को न केवल आर्थिक नुकसान होता, बल्कि क्षेत्र की समग्र विकास क्षमता में बाधा आती है।

कृषि आपूर्ति श्रृंखला में बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करना अत्यावश्यक है। भंडारण सुविधाओं, परिवहन नेटवर्क और सिंचाई प्रणालियों में निवेश से क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ सकती है और फसल के बाद के नुकसान को कम किया जा सकता है। अनियमित मौसम पैटर्न के प्रभाव को कम करने के लिए जलवायु-नमनीय कृषि पद्धतियों को लागू करना महत्त्वपूर्ण है। दीर्घकालिक लचीलेपन के लिए सूखा प्रतिरोधी फसलों, कुशल जल प्रबंधन और टिकाऊ कृषि तकनीकों में अनुसंधान और विकास आवश्यक है।

नीति क्रियान्वयन को सुव्यवस्थित करना और कृषि क्षेत्र में प्रमुख सुधारों में तेजी लाना सर्वोपरि है। इसमें भूमि स्वामित्व के मुद्दों को संबोधित करना, पारदर्शी खरीद प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करना, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाना और किसान-अनुकूल नीतियों को बढ़ावा देना शामिल है, जो बेहतर आय की सुविधा प्रदान करते हैं। आज किसानों को कर्ज से ज्यादा प्रोत्साहन राशि की जरूरत है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था के अंतर्संबंध को देखते हुए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में रणनीतिक जुड़ाव महत्त्वपूर्ण है, लेकिन यह संबंध स्थानीय किसान हितों को ध्यान में रखते हुए हों। निर्यात बाजारों में विविधता लाना और व्यापार संबंधों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद आर्थिक स्थिरता में योगदान दे सकता है। कृषि में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने से इस क्षेत्र में क्रांति आ सकती है। सटीक खेती, फसल की निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग और बाजार तक पहुंच के लिए डिजिटल मंचों को अपनाना ऐसे नवाचार हैं जो उत्पादकता और दक्षता बढ़ा सकते हैं।

आज कृषि श्रमिकों को रोजगार के अन्य माध्यमों पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। कौशल विकास और ग्रामीण आजीविका के विविधीकरण पर केंद्रित पहल रोजगार पर कृषि मंदी के प्रभाव को कम कर सकती है। इसमें कृषि-प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना शामिल है। समुदाय-आधारित दृष्टिकोण, जैसे साझा खेती और समुदाय-समर्थित कृषि को प्रोत्साहित करना, किसानों को सशक्त और उनकी सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ा सकता है। जमीनी स्तर पर सहयोगात्मक प्रयास सतत विकास में योगदान दे सकते हैं।

भारत के आर्थिक परिदृश्य की जटिलताओं से निपटने के लिए कृषि जैसे प्रमुख क्षेत्रों के सामने आने वाली चुनौतियों की सूक्ष्म समझ जरूरी है। सुस्त कृषि क्षेत्र के साथ मजबूत जीडीपी विकास दर के विरोधाभास पर तत्काल ध्यान देने और लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता है। मूल कारणों को संबोधित करना, प्रभावों को कम करना और व्यापक सुधारों और निवेशों के साथ आगे बढ़ने का रास्ता तैयार करना भारत के लिए अधिक लचीले, समावेशी और टिकाऊ आर्थिक भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। सामूहिक रूप से ऐसी नीतियों और प्रथाओं को आकार देना महत्त्वपूर्ण है, जो समाज के हर वर्ग की समृद्धि सुनिश्चित करें, जिससे आर्थिक प्रगति की यात्रा में कोई भी पीछे न रहे।

अच्छी परवरिश के लिए 'थप्पड़' जरूरी नहीं

क्वींसलैंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शोधार्थियों ने किया शोध, चार में से तीन व्यक्ति पक्ष में

नई पीढ़ी की सोच में आ रहा बदलाव, बच्चों को शारीरिक दंड देने के पक्ष में नहीं

क्वींसलैंड, प्रेट्र: अब एक थप्पड़ खाओगो... यह शब्द अपने माता-पिता से जीवन में कई बार आपने सुनी होगी और जो अब माता-पिता की भूमिका में हैं, वे भी अपने बच्चों को कई बार यह कहकर अपना गुस्सा जाहिर कर चुके होंगे। कई बार उन्हें अनुशासित करने के लिए थप्पड़ मारा भी होगा। दरअसल, दुनियाभर में यह सर्वमान्य 'थ्योरी' है कि बच्चों की ठीक से परवरिश करने के लिए उन्हें थप्पड़ मारना जरूरी है। हालांकि दुनियाभर के 65 देशों में बच्चों पर किसी भी तरह का बल प्रयोग करना प्रतिबंधित है। बावजूद इसके चार में से एक माता-पिता इसे 'जादुई धमकी ' मानते हैं, जिससे वह बच्चों के व्यवहार में सुधार ला सकते हैं। हालांकि अब इस सोच में बदलाव आ रहा है। क्वींसलैंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शोध में यह पाया कि प्रतिभागियों में शामिल आधे से ज्यादा माता-पिता (सभी आयु वर्ग के) ने इस बात को स्वीकारा कि उन्होंने बच्चों को अनुशासित करने के लिए थप्पड़ मारा है। हालांकि सोच में बदलाव आ रहा है।

यह है शारीरिक दंड: शारीरिक सजा बच्चों के खिलाफ हिंसा का सबसे आम प्रकार है। इसमें आमतौर पर मारना शामिल है, लेकिन इसमें चुटकी काटना, थप्पड़ मारना या लकड़ी के चम्मच, बेंत या बेल्ट जैसे उपकरण का उपयोग करना भी शामिल है।

निष्कर्ष: थप्पड़ मारना वास्तव में काम नहीं करता है और समय के साथ व्यवहार को बदतर बना देता है और यह बच्चों की आंतरिक समस्याओं, बच्चों की बढ़ती आक्रामकता, खराब माता-पिता-बच्चे के रिश्तों, खराब धातु स्वास्थ्य और बहुत कुछ से जुड़ा है। इसके विपरीत, बहुत सारी अहिंसक पालन-पोषण रणनीतियां हैं, जो काम करती हैं।

प्यार और दोस्ताना रवैये से भी हो सकती है बच्चों की अच्छी परवरिश। फाइल

पुरुषों को ज्यादा मिलता है दंड

62.5% लोगों ने बचपन में अभिभावकों से चार या उससे अधिक बार पिटाई खाई या उन्हें शारीरिक दंड मिला

66.3% पुरुषों को शारीरिक दंड मिला

59.1% महिलाओं को मिला दंड

नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी की सोच में आ रहा है अंतर

16 से 24 साल की पीढ़ी के 26.4 प्रतिशत मानते हैं कि बच्चों के उचित पालन-पोषण के लिए शारीरिक दंड आवश्यक हैं। वहीं 73.6 प्रतिशत मानते हैं अब शारीरिक दंड जरूरत नहीं

65 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 37.9 प्रतिशत आस्ट्रेलियाई मानते हैं कि शारीरिक दंड आवश्यक है। जबकि 35-44 वर्ष की आयु के 22.9 प्रतिशत लोग और 24 वर्ष से कम आयु के केवल 14.8 प्रतिशत लोग ही इसकी जरूरत महसूस करते हैं।

सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित लोग मानते हैं इसे सही

सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित लोगों में यह मानने की संभावना 2.3 गुना अधिक है कि शारीरिक दंड आवश्यक है, उन लोगों की तुलना में जिन्हें कोई नुकसान नहीं है। माता-पिता, जो बचपन में शारीरिक रूप से अनुशासित थे, दोनों को यह विश्वास होने की अधिक संभावना थी कि इसकी आवश्यकता है और अपने बच्चों के साथ इसका उपयोग करने की अधिक संभावना है। इससे पता चलता है कि हिंसा का यह रूप पीढ़ियों तक प्रसारित होता रहता है।

उत्तर बंगाल की न्योरा घाटी में मक्खियों की सात नई प्रजातियां मिलीं

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

- जैव विविधता सर्वेक्षण के दौरान जीवविज्ञानियों की नजर में आईं मक्खियां
- कुछ शिकारी हैं, कुछ परागण व जैविक पदार्थों के अपघटन में मदद करती हैं

हिब्स क्यूलिसिफोर्मिस और आसारसीना अफ्रीकाना। सौ. संस्थान

देश में मक्खियों की सात नई प्रजातियां खोजी गई हैं और ये उत्तर बंगाल के कलिम्पोंग जिले में स्थित न्योरा वैली नेशनल पार्क में पाई गई हैं। जैव विविधता सर्वेक्षण करते समय जीवविज्ञानियों की नजर में ये सभी मक्खियां आईं। उनमें से कुछ शिकारी हैं, कुछ परागण में मदद करती हैं, कुछ जैविक पदार्थों के अपघटन (सड़ाने) में मदद करती हैं।

देश में पहली बार देखी गई इन मक्खियों के बारे में वन विभाग द्वारा 2018 से शुरू किए गए अध्ययन को हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्तर के जर्नल आफ थ्रेटेंड टैक्सा में प्रकाशित किया गया है। मक्खियों की सात प्रजातियां हैं-हिब्स क्यूलिसिफोर्मिस, होमोन्यूरा एसपी, हेलिना इवासाई, सिनोनिपोनिया बरुई, क्राइसोगैस्टर एसपी, असारसीना अफ्रिकाना और पैरागस हैमोरस।

हुगली जिले के श्रीगोपाल बंद्योपाध्याय कालेज में प्राणीशास्त्र के शिक्षक सुभ्रकांति सिन्हा, जो सर्वेक्षण टीम का हिस्सा थे, ने कहा कि कुल मिलाकर मक्खियों के 33 गोत्र (समूह) पाए गए हैं। इन समूहों के अंतर्गत 306 प्रजातियों की पहचान की गई है। इनमें 25 प्रजातियां राज्य के लिए नई हैं। उन 25 में से सात प्रजातियां ऐसी हैं जो पहले कभी देश में नहीं देखी गईं। इन सात मक्खियों में से कुछ चीन में पाई जाती हैं और कुछ यूरोपीय देशों में पाई जाती हैं। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि इन सात प्रजातियों में से होमोन्यूरा एसपी, क्राइसोगैस्टर एसपी कौन सी प्रजाति है। शायद विदेश में हो, उसकी तलाश की जा रही है, लेकिन देश में नई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि न्योरा घाटी में कम ऊंचाई पर मक्खियों जैसे कीड़े कम हैं। ढाई से तीन हजार मीटर की ऊंचाई पर जंगल में बहुत सारी मक्खियां होती हैं। सुभ्रकांति ने कहा कि हिब्स क्यूलिसिफोर्मिस स्वभाव से शिकारी है। प्रजातियां होमोन्यूरा एसपी और हेलिना इवासाई और पैरागस हैमोरस जंगलों में फूलों के परागण में भूमिका निभाती हैं। जैविक पदार्थों के अपघटन में सिनोनिपोनिया बरुई प्रजाति की भूमिका होती है। सर्वेक्षण शुरू करने वाले पर्यावरणविदों में से एक अनिमेष बसु ने कहा कि यहां के किसी भी वन क्षेत्र में जैव विविधता का पूर्ण सर्वेक्षण नहीं हुआ है। जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन के कारण जिस तरह से विभिन्न जीव-जंतु और कीड़े-मकौड़े कम हो रहे हैं, अगर हम सर्वेक्षण न करें तो पता ही नहीं चल सकता कि पहले कहां क्या था। इसीलिए समीक्षा टीम में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को रखा जाता है।

सर्वेक्षण की शुरुआत करने वाले उत्तर बंगाल के अतिरिक्त मुख्य वनपाल उज्ज्वल घोष ने कहा कि जैव विविधता के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। इससे खाद्य शृंखला और प्रकृति के स्वरूप में आ रहे अच्छे या बुरे बदलावों को तथ्यों के साथ महसूस किया जा सकता है।

जल्द एक प्रीमियम में चार तरह का बीमा

इरडा के नए उत्पाद में मिलेगी जीवन, स्वास्थ्य, दुर्घटना और संपत्ति बीमा की सुविधा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : नए साल में इंश्योरेंस सेक्टर में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) एक उत्पाद के तहत कई इंश्योरेंस खरीदने की सुविधा प्रदान करने के लिए बीमा विस्तार योजना लांच करने जा रहा है। इस बीमा विस्तार योजना को गांव-गांव तक ले जाने के लिए बीमा वाहक रखे जाएंगे। इरडा ने 2024 के अंत तक देश के हर ग्राम पंचायत में बीमा वाहक नियुक्त करने का लक्ष्य रखा है। इंश्योरेंस कंपनियां मुख्य रूप से महिलाओं को बीमा वाहक के रूप में नियुक्त करेंगी।

इरडा सूत्रों के मुताबिक, नए साल में कभी भी बीमा विस्तार योजना की शुरुआत हो सकती है। जनवरी महीने में भी इसकी शुरुआत हो सकती है। बीमा विस्तार उत्पाद में एक साथ जीवन, स्वास्थ्य, दुर्घटना और प्रापर्टी इंश्योरेंस की सुविधा होगी। यानी कि एक प्रीमियम देकर उपभोक्ता एक साथ चार इंश्योरेंस का लाभ ले सकेंगे। माना जा रहा है कि बीमा विस्तार योजना का प्रीमियम काफी कम होगा ताकि अधिक से अधिक लोग इस उत्पाद को खरीद सके। इरडा ने वर्ष 2047 तक देश के प्रत्येक नागरिक को इंश्योरेंस के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा है और बीमा विस्तार इस दिशा में किया गया प्रयास है। सूत्रों के मुताबिक बीमा विस्तार के तहत इंश्योरेंस कवर की राशि एक-दो लाख के बीच हो सकती है।

- इरडा ने वर्ष 2024 के अंत तक देश के हर ग्राम पंचायत में बीमा वाहक नियुक्त करने का लक्ष्य रखा
- मुख्य रूप से महिलाओं को एजेंट के तौर पर किया जाएगा नियुक्त, एक से दो लाख होगा इंश्योरेंस कवर

एक साथ कई कंपनियों के उत्पाद बेच सकेंगे बीमा वाहक

बीमा वाहक एक साथ कई कंपनियों के इंश्योरेंस उत्पाद को बेच सकेंगे। अभी कोई एजेंट एक इंश्योरेंस उत्पाद किसी एक ही कंपनी का बेच सकता है। मान लीजिए किसी एजेंट ने स्टार हेल्थ के इंश्योरेंस को बेचने के लिए कंपनी से कोड ले रखा है तो वह अपने नाम से केयर हेल्थ का इंश्योरेंस नहीं बेच सकता है। नए साल से ये एजेंट कई कंपनियों के एक ही श्रेणी के उत्पाद बेच सकेंगे। नए साल में इस नियम के लागू होने की कभी भी घोषणा हो सकती है।

कंपनियां करेंगी बीमा वाहक की नियुक्ति

इरडा के मुताबिक बीमा विस्तार के लागू होते ही बीमा वाहक स्कीम शुरू हो जाएगी। इंश्योरेंस कंपनियां इरडा के नियमों के तहत बीमा वाहक की नियुक्ति करेंगी। बीमा वाहकों के पास इलेक्ट्रानिक मशीन होगी, जिसकी मदद से वे ग्राहकों का केवाईसी भी कर पाएंगे और इलेक्ट्रानिक फार्म में ग्राहकों से भुगतान का भी लेनदेन कर सकेंगे। ग्रामीण इलाके में बीमा वाहकों की नियुक्ति करने से इंश्योरेंस की पैठ बढ़ेगी, क्योंकि गांव का स्थानीय व्यक्ति वहां के लोगों की जरूरतों को अच्छी तरह समझता है और बीमा वाहक स्थानीय भाषा में उन्हें इंश्योरेंस के फायदे को बता सकेगा।

अन्याय का अंत करने वाला निर्णय

राजीव सचान

अनुच्छेद-370 एवं 35-ए राष्ट्रीय एकता में बाधक और लाखों लोगों के अधिकारों को कुचलने वाले भी थे

इसके आसार तो कम ही थे कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद-370 और 35-ए को बहाल कर सकता है, लेकिन इसके बाद भी यह आशंका थी कि कहीं वह इस नतीजे पर न पहुंच जाए कि इन अनुच्छेदों को हटाने की प्रक्रिया विधिसम्मत नहीं थी। इस आशंका का कारण कुछ विपक्षी नेताओं और याचिकाबाज वकीलों के साथ मीडिया के एक हिस्से की ओर से यह माहौल बनाया जाना था कि अनुच्छेद-370 और 35-ए को मनमाने तरीके से हटाया गया। निःसंदेह यह तरीका जटिल तो था, मगर राजनीतिक इच्छाशक्ति हो तो जटिल फैसले भी आसान हो जाते हैं। मोदी सरकार ने 5 अगस्त, 2019 को यही किया। चूंकि उसे यह पता था कि असंभव से माने जाने वाले इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती अवश्य दी जाएगी, इसलिए उसने सारे कील-कांटे दुरुस्त कर रखे थे। यह कहना तो कठिन है कि मोदी सरकार ने अनु. 370 और 35-ए को हटाने का निश्चय कब किया, मगर यदि भाजपा ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा के पिछले चुनावों के बाद पीडीपी से मिलकर सरकार नहीं बनाई होती तो अनुच्छेद-370 और 35-ए को हटाना संभव नहीं होता। जब भाजपा ने पीडीपी के मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ मिलकर सरकार बनाने का फैसला किया तो उसकी खासी आलोचना हुई। सईद के निधन के बाद जब भाजपा महबूबा मुफ्ती को उनके स्थान पर मुख्यमंत्री बनाने को राजी हो गई तो उसकी और आलोचना हुई, क्योंकि वह अपने पिता की तुलना में कट्टर एवं हठी मानी जाती थीं।

भाजपा-पीडीपी का मिलन हर लिहाज से बेमेल था। ऐसी सरकार का चलना कठिन था। अंततः जून 2018 में भाजपा ने अपना समर्थन वापस ले लिया और वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। इसके बाद पीडीपी ने अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने की पहल शुरू की। यह पहल परवान नहीं चढ़ी तो जम्मू-कश्मीर विधानसभा भंग कर दी गई। इससे हुआ यह कि राज्यपाल वैसे फैसले लेने में सक्षम हो गए, जैसे वहां की विधानसभा ले सकती थी। यदि जम्मू-कश्मीर में पीडीपी, नेशनल कांफ्रेंस या कांग्रेस या फिर इन दलों की मिलीजुली सरकार होती तो वहां की विधानसभा अनुच्छेद-370 और 35-ए को खत्म करने का प्रस्ताव कभी पास करने वाली नहीं थी। यदि भाजपा ने पीडीपी से मिलकर सरकार नहीं बनाई होती और फिर समर्थन वापस लेकर राष्ट्रपति शासन लागू करने का रास्ता साफ नहीं किया होता तो क्या अनुच्छेद-370 और 35-ए को हटाने की सूरत बनती? शायद नहीं।

कोर्ट के फैसले पर खुशी मनाते कश्मीरी हिंदू। एएनआइ

सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रक्रिया को विधिसम्मत पाया, जिसके तहत अनुच्छेद-370 और 35-ए को खत्म किया गया। इसी के साथ ये अनुच्छेद सदैव के लिए इतिहास में दफन हो गए। ये अनुच्छेद केवल अलगाववाद को बढ़ावा देने वाले ही नहीं थे, बल्कि जम्मू-कश्मीर की अनुसूचित जातियों-जनजातियों के साथ उन युवतियों के अधिकारों पर आघात करने वाले भी थे, जो राज्य के बाहर के किसी युवक से विवाह करती थीं। ऐसी युवतियां जम्मू-कश्मीर में अपनी संपत्ति का अधिकार खो देती थीं। ये अनुच्छेद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर से जान बचाकर आए शरणार्थियों के अधिकारों को कुचलने वाले भी थे। ये अनुच्छेद उन गोरखाओं की भी उपेक्षा करने वाले थे, जिनके पूर्वज कभी जम्मू-कश्मीर के महाराजा की सेना के सैनिक थे। अनुच्छेद-370 के कारण जम्मू-कश्मीर में संसद से पारित कानून राज्य विधानसभा की मंजूरी के बिना लागू नहीं हो सकते थे। इसके चलते कई ऐसे केंद्रीय कानून जम्मू-कश्मीर में नहीं लागू हो सके, जो वहां के वंचित तबकों के लिए बनाए गए।

अनुच्छेद 35-ए के जरिये जम्मू-कश्मीर की नागरिकता के नियम और नागरिकों के अधिकार तय होते थे। इस अनुच्छेद के प्रविधान कितने अत्याचारी थे, इसे उन दलितों के साथ हुए अन्याय से समझा जा सकता है, जो 1957 में पंजाब से वहां गए थे। 1957 में जम्मू-कश्मीर में सफाई कर्मियों ने हड़ताल कर दी। इससे परेशान होकर जम्मू-कश्मीर सरकार ने पंजाब सरकार से कुछ सफाई कर्मियों को भेजने को कहा और यह वादा किया कि उन्हें समस्त अधिकार दिए जाएंगे। करीब तीन सौ दलित परिवार पंजाब से जम्मू-कश्मीर गए। वहां की सरकार उन्हें वांछित अधिकार देने के वादे से मुकर गई। समय के साथ इन दलित परिवारों की आबादी बढ़ती गई, लेकिन उन्हें राज्य की नागरिकता नहीं दी गई। एक ऐसे ही परिवार की युवती राधिका गिल ने बीएसएफ की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पास कर ली और अच्छी एथलीट होने के कारण फिटनेस टेस्ट में भी सफल हो गई, लेकिन उसे नौकरी इसलिए नहीं मिली, क्योंकि उसके पास जम्मू-कश्मीर का नागरिक होने का कोई प्रमाण नहीं था। जब उसे पता चला कि राज्य सरकार ने यह व्यवस्था बना रखी है कि पंजाब से गए दलित परिवारों के बच्चे केवल सफाई कर्मी की ही नौकरी कर सकते हैं तो उसकी उम्मीदों पर तुषारापात हुआ। ऐसे अनेक मेधावी दलित लड़के-लड़कियों के साथ भेदभाव को 'जस्टिस डिलेड बट डिलिवर्ड' नाम से बनी डाक्यूमेंट्री फिल्म में दिखाया गया है। 35-ए के विभेदकारी प्रविधानों के चलते दलित परिवारों के बच्चे कोई प्रोफेशनल कोर्स और बड़ा व्यवसाय भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसके लिए भी नागरिकता प्रमाण पत्र आवश्यक होता था। उनके लिए दूसरे राज्य जाकर पढ़ाई करना भी कठिन था, क्योंकि उन्हें माइग्रेशन सर्टिफेकट ही नहीं मिलता था। स्पष्ट है कि अनुच्छेद-370 और 35-ए राष्ट्रीय एकता और अखंडता में बाधक होने के साथ लाखों लोगों के अधिकारों को कुचलने वाले भी थे। हैरानी की बात है कि इसके बाद भी न जाने कितने लोग उनकी पैरवी करने में लगे हुए थे।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)

response@jagran.com

आहार प्रणाली में बदलाव की दरकार

सुधीर कुमार

निःसंदेह भोजन में शाकाहार या मांसाहार को शामिल करना एक नितांत व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन पर्यावरणविदों का कहना है कि मांसाहार दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की एक बड़ी वजह बन रहा है। विश्व स्तर पर मांस की खपत को कम करना खाद्य प्रणाली द्वारा होने वाले कार्बन उत्सर्जन को लगभग एक चौथाई तक कम कर सकता है।

जलवायु परिवर्तन की भयावहता को कम करने के लिए दुनिया को निश्चित रूप से मांस की खपत में कमी लानी होगी। मांसाहारी भोजन का कार्बन फुटप्रिंट शाकाहारी भोजन की तुलना में ज्यादा होता है। मवेशियों की बढ़ती संख्या से मिथेन गैस का उत्सर्जन बढ़ता है, जो कार्बन डाई-आक्साइड के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है। विश्व संसाधन संस्थान के अनुसार केवल भेड़ के मांसाहार में कमी करने से 2050 तक प्रति व्यक्ति भोजन और भूमि उपयोग से संबंधित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 15 से 35 प्रतिशत की कमी आएगी। शाकाहारी बनने से प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन आधे से कम हो सकता है। गौरतलब है कि मांस उद्योग प्रदूषण, भोजन और पानी की कमी और जलवायु परिवर्तन जैसे समस्याओं को जन्म देते हैं। पशुओं के मल-मूत्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, कीटनाशक, एंटीबायोटिक्स का पारितंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा मांस फैक्ट्रियों और बूचड़खाने से निकलने वाला ज्यादातर कचरा जलाशयों और नदियों में पहुंचकर जलस्रोतों को दूषित करता है। पशुओं के मल-मूत्र के साथ अमोनिया और मिथेन जैसी गैसों का स्राव होता है। वर्ल्डवाच इंस्टीट्यूट के अनुसार दुनियाभर में उत्सर्जित होने वाली मीथेन गैस का 15-20 प्रतिशत हिस्सा भोजन के लिए पाले जाने वाले पशु उत्सर्जित करते हैं। दूसरी तरफ मांस के लिए किया जाने वाला पशुपालन उत्पादकता के हिसाब से अत्यधिक नुकसानदायक है, क्योंकि जानवर बड़ी मात्रा में अनाज खाते हैं और बदले में उनसे बेहद कम मात्रा में मांस, डेरी खाद्य पदार्थ या अंडे प्राप्त होते हैं। विज्ञानियों के अनुसार जानवरों से सिर्फ एक किलोग्राम मांस प्राप्त करने के लिए उनको 10 किलोग्राम अनाज खिलाना पड़ता है। पाटा इंडिया के मुताबिक एक किलोग्राम मांस का उत्पादन करने के लिए तकरीबन 20 हजार लीटर पानी की खपत होती है, जबकि एक किलोग्राम गेहूं का उत्पादन करने के लिए केवल 503 लीटर पानी की आवश्यकता होती है।

मांस उद्योग प्रदूषण, भोजन और पानी की कमी और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं को जन्म देते हैं

बहरहाल आहार से मांस को दूर करने से दुनियाभर में खाने की आदतों से संबंधित प्रति व्यक्ति ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में आधी कमी आ सकती है। जलवायु परिवर्तन का खतरा कम करने के लिए अपनी आहार प्रणाली में बदलाव की दरकार है।

(लेखक बीएचयू में शोधार्थी हैं)

अभिषेक कुमार सिंह
संस्था-टेली परफार्मेंस से संबद्ध

आजकल

आनलाइन कर्ज के मर्ज का सही इलाज

वेबसाइट या मोबाइल एप के जरिये कर्ज देने वाली एजेंसियों को नियमों के दायरे में लाने की पूर्व में कई कोशिशें की गई हैं। इसके बावजूद अभी भी कुछ एजेंसियां बाजार में मौजूद हैं, जो नियामक संस्थाओं की आंख में धूल झोंककर और नियमों में खामियां निकालकर लोन दे रही हैं, लेकिन अब ज्यादा दिनों तक ऐसा नहीं हो सकेगा, क्योंकि सरकार और रिवर्ज बैंक ने इनके खिलाफ चौतरफा कार्रवाई की तैयारी कर ली है

जानलेवा साबित हो रहे लोन एप पर शिकंजा कसना आवश्यक। प्रतीकात्मक

एक आम इंसान की जिंदगी में कितने झंझट हैं, इसका पता करना हो तो देश में बांटे जा रहे उन कर्जों का हिसाब-किताब लेना चाहिए, जो किसी हारी-बीमारी, पढ़ाई, रोजगार, शादी-ब्याह जैसे मामलों में भारी दरों पर लिए जाते हैं। उन्हें वक्त पर नहीं चुका पाने की स्थिति में लोगों को पता नहीं क्या-क्या दांव पर लगाना पड़ता है। इन मामलों की पिछले कुछ समय से सरकार और वित्तीय कामकाज पर नजर रखने वाले भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने सुध लेने की कोशिश की है। चूंकि इनमें सबसे ज्यादा गड़बड़झाले मोबाइल एप के जरिये फटाफट लोन देने वाले लोगों और संगठनों से जुड़े हैं, इसलिए हाल में केंद्र सरकार ने कहा है कि वह ऐसे कानूनी प्रबंध करने जा रही है, जिससे आनलाइन लोन बांटने वाली गैर-लाइसेंसी कंपनियां या एजेंसियां वित्तीय सेवाएं देने के लिए किसी भी तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। इसी तरह आरबीआइ ने आनलाइन लोन का प्रबंध करने में शामिल वेब-एग्रीगेटर्स (इंटरनेट कंपनियों) का विस्तृत नियमन की बात कही है, ताकि किसी फर्जीवाड़े की गुंजाइश न रहे और कानूनी दायरे से बाहर की कंपनियों का कामकाज ठप हो जाए।

जानलेवा बन गया लोन का जाल: सरकारी और प्राइवेट बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों ने कर्ज बांटने की एक मुकम्मल एवं आसान व्यवस्था बना रखी है। इसके बावजूद लोग फर्जी मोबाइल कर्जदाताओं के शिकंजे में फंस जाते हैं और जमा-पूंजी से लेकर जान तक गंवा देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके कुछ बड़े कारण नजर आते हैं। पहला तो यह है कि सरकारी और वैध कर्जदाता वित्तीय संस्थाओं के मुकाबले मोबाइल एप से कर्ज बांटने वाली अन्य संस्थाएं कर्ज देने के लिए लोगों को कागजी कार्यवाही में नहीं उलझाती हैं। मोबाइल पर कोई लोन चंद मिनटों में पास हो जाता है और कर्ज लेने वाले खाते में रकम तुरंत आ जाती है। चूंकि डिजिटल प्रबंधों के तेज विस्तार और डिजिटल साक्षरता बढ़ने से आनलाइन खरीदारी का दायरा भी काफी बढ़ा है, इसलिए लोगों का ऐसे लेनदेन में यकीन भी बढ़ा है। जब लोगों को उनकी जरूरत के लिए रकम तुरंत मिल जाती है तो कई बार जरूरी सावधानियों का ध्यान नहीं रख पाते। ऐसे में डिजिटल लोन देने के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहे लोगों और कंपनियों को यूजर्स की निजी जानकारियों में सेंध लगाने और फिर धोखाधड़ी एवं उत्पीड़न करने का मौका मिल जाता है।

लिखा-पढ़ी के झंझट की फांस: सवाल है कि लोग कर्ज लेने के लिए बैंकों या फिर किसी अन्य अधिकृत वित्तीय संस्था के पास क्यों नहीं जाते, जहां के कायदे-कानून आरबीआइ की निगरानी के कारण काफी स्पष्ट हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि सरकारी संस्थाओं से कर्ज मिलने में देरी और छोटी सी रकम के लिए भी तमाम लिखा-पढ़ी का झंझट लोगों को इसके लिए बाध्य करता है कि वे इसके आसान विकल्प आजमाएं। जिस तरह चंद मिनटों में बिना ज्यादा पूछताछ के छोटे कर्ज लोन एप की मार्फत मिल जाते हैं, वैसी सुविधा आरबीआइ से पंजीकृत कोई बैंक या रजिस्टर्ड संस्थाएं बमुश्किल ही दे पाती हैं। इन अधिकृत और वैध संस्थाओं से अगर किसी ने लोन लिया है तो उसे इसका अहसास होगा कि इसके लिए सैलरी स्लिप, बैंक खातों के स्टेटमेंट, नियोक्ता कंपनी के विवरण और अच्छे सिबिल स्कोर तक की जरूरत पड़ती है। सोचा जा सकता है कि एक आम दुकानदार, रिक्शाचालक, रेहड़ी-पटरी लगाने वाले शख्स-जिन्हें छोटी राशि का और जल्दी ही कोई कर्ज चाहिए, वे इतने सारे कागज और विवरण कहां से ला सकते हैं, लेकिन कम राशि के ऐसे लोन इन लोगों को लोन एप के जरिये तुरत-फुरत मिलते रहे हैं।

ऐसे लोन पाने के लिए लोगों को गूगल के एप स्टोर से संबंधित एप डाउनलोड करने के बाद अपने संपर्क की और निजी जानकारियां ही देनी होती हैं। इन पर बिना किसी गारंटी या बिना किसी इनकम प्रूफ के 50 हजार रुपये तक का कर्ज मिनटों में मिल जाता है। ऐसे छोटे कर्ज को चुकाने के लिए सात से 15 दिन की मोहलत दी जाती है। हालांकि इन तुरंत मिलने वाले कर्जों का नकारात्मक पहलू यह है कि वक्त पर नहीं चुकाने की सूरत में भारी ब्याज और 30 गुना से लेकर हजार गुना तक जुर्माना ये कंपनियां वसूलती हैं। यही नहीं, ऐसे अनगिनत बाकये भी हुए हैं, जहां लोनदाता एजेंसी के रिकवरी एजेंटों ने कर्ज नहीं चुकाने पर संबंधित शख्स को उसके मित्रों-परिचितों में बदनाम करने या ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। ऐसी स्थिति में कई बार लोग एक लोन चुकाने के लिए दूसरी कंपनी से लोन लेने लगते हैं। इससे कर्ज की रकम कई गुना बढ़ जाती है और भारी दबाव में आया शख्स आत्महत्या जैसा कदम भी उठा लेता है।

खुद ही सौंपते प्रताड़ना के औजार: आखिर लोन एप के जरिये कर्ज देने वाली कंपनियां लोगों को कर्ज नहीं चुकाने पर परेशान कैसे करती हैं? असल में इसकी शुरुआत तब होती है, जब लोन मांगने वाले लोग मोबाइल एप डाउनलोड करने के लिए कर्जदाता एजेंसी को डीप परमिशन यानी काल-लाग्स, मोबाइल डिवाइस में सुरक्षित अन्य दस्तावेजों-जैसे फोटो, पैन और आधार कार्ड डिटेल्स तक पहुंच की इजाजत निःसंकोच दे देते हैं। ऐसे लोग कर्ज की शर्तों को भी शायद ही कभी पढ़ते हों। ऐसे में कर्ज चुकाने में देरी पर कंपनी के रिकवरी एजेंट उपभोक्ता के उत्पीड़न पर उतर आते हैं। यही नहीं, अभी भी इन लोन एप पर रिजर्व बैंक का कोई खास नियंत्रण नहीं है, इसलिए इन पर हमारे देश के वित्तीय कानून भी लागू नहीं होते हैं। हालांकि अब केंद्र सरकार और आरबीआइ की पहलकदमियों से इनकी गैरकानूनी गतिविधियों पर अंकुश लग सकता है और लोगों को राहत मिल सकती है। केंद्र सरकार की घोषणा के मुताबिक वित्त मंत्रालय आरबीआइ से सलाह-मशविरा के बाद ऐसा कानून ला सकता है, जिसमें नियमों के दायरे से बाहर कामकाज कर रही कंपनियों एवं एजेंसियों पर आनलाइन (वेबसाइट एवं मोबाइल एप के जरिये) वित्तीय उत्पाद बेचने को लेकर पाबंदी लग दी जाएगी। तकनीकी तौर पर ऐसी व्यवस्था भी की जाएगी, जिसमें कर्ज लेने वाले उपभोक्ता यह पता कर सकेंगे कि कर्ज बांटने वाली कंपनी या एजेंसी पंजीकृत है या नहीं। उधर आरबीआइ के गवर्नर के अनुसार लोन उत्पादों के वेब एग्रीगेटर्स के नियमन का फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है, जिसका मकसद वित्तीय सेवाएं देने वाली कंपनियों के कामकाज में पारदर्शिता लाते हुए फर्जीवाड़े रोकना है।

हालांकि फर्जीवाड़े की रोकथाम की एक शुरुआत कुछ माह पहले देश में हो चुकी है। अप्रैल 2023 में गूगल ने वित्तीय सेवाओं से जुड़े मोबाइल एप के लिए अपनी पालिसी में बदलाव की घोषणा की थी। इसमें पर्सनल लोन देने वाले उन सभी लोन एप को गूगल ने प्रतिबंधित कर दिया, जो वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के बारे में उपभोक्ताओं को भ्रामक और हानिकारक जानकारी देते हैं। इस तरह के मोबाइल एप को पहले स्थानीय नियमों और कानूनों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करना होगा। यही नहीं, केंद्र सरकार ने भी इस साल फरवरी में 94 क्विक लोन एप और 138 बेटिंग एप को प्रतिबंधित कर दिया था। बताया गया था कि आरबीआइ के पास लोन देने वाले एप की 12903 शिकायतें दर्ज हुई थीं, जिनमें रिकवरी एजेंटों द्वारा उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें भी हैं। अब जिस तरह से केंद्र सरकार और आरबीआइ ने इस मामले में गंभीरता दिखाई है, उससे यह उम्मीद जगी है कि फटाफट आनलाइन कर्ज देने के नाम पर तमाम अवैध धंधे चला रही कंपनियों पर लगाम लगेगी और आम लोगों की पूंजी और जीवन सुरक्षित हो सकेगा। हालांकि इसके साथ-साथ सरकार और रिजर्व बैंक को यह कोशिश भी करनी चाहिए कि छोटी राशि का कर्ज लोगों को सस्ती दरों और आसान शर्तों पर बिना ज्यादा कागजी कार्यवाही के तुरंत मिल सके। सरकार और वित्तीय संस्थाओं को समझना होगा कि छोटे कर्ज मिलने में ज्यादा देरी से कामकाज ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि कई बार जिंदगी भी दांव पर लग जाती है।

फर्जीवाड़े से बचने के लिए बरतें सावधानी

हम अभी यह नहीं कह सकते कि सरकार और आरबीआइ ने लोन एप के फर्जीवाड़े रोकने के लिए जिन प्रबंधों और कानूनी इंतजामों की बात कही है, वे पूरी तरह असरदार होंगे। इसकी वजह यह है कि अतीत में ऐसी कार्रवाइयां होने के बावजूद इन मामलों की पूरी तरह रोकथाम नहीं हो सकी। जैसे कुछ समय पहले जब आरबीआइ ने गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (एनबीएफसी) को बैंकिंग रेगुलेटरी सिस्टम से बाहर काम कर रहे एप की लिस्ट साझा करने को कहा था, तब अवैध तरीके से डिजिटल लोन देने वाले कई एप पर कड़ी कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद दोबारा ऐसे फर्जी डिजिटल लोन एप नए नामों के साथ सामने आ गए थे। इसलिए इसमें व्यक्तिगत तौर पर सावधानी अपनाने और शिकायत करने की सही प्रक्रिया एवं मंच जानने की जरूरत है। इनमें पहली सावधानी के बारे में रिजर्व बैंक सचेत कर चुका है कि अच्छा होगा कि लोग अनधिकृत वित्तीय संस्था के मोबाइल एप के जरिये लोन न लें, क्योंकि वे उपभोक्ताओं के दस्तावेजों के साथ दूसरे कई फर्जीवाड़े कर सकती हैं। दूसरी जरूरी सावधानी यह है कि कर्ज देने वाली कंपनी का रिकार्ड जरूर जांच लें। ऐसी कंपनियां कर्ज पर ज्यादा ब्याज वसूलती हैं। इनमें कई तरह के छिपे हुए चार्ज होते हैं, जो शुरू में पता नहीं चलते। इसी तरह जरूरी है कि अनधिकृत वित्तीय संस्था के एप पर केवाईसी संबंधी विवरण और दस्तावेज साझा नहीं किए जाएं। जहां तक किसी फर्जीवाड़े का संदेह होने पर शिकायत करने की बात है तो इस संबंध में रिजर्व बैंक की वेबसाइट मददगार है। इस पोर्टल पर पंजीकृत एनबीएफसी के नाम और पते दर्ज हैं। कोई धोखाधड़ी होने पर पोर्टल के जरिये ही इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इस आनलाइन पोर्टल का नाम सचेत है।

-अभिषेक कुमार सिंह

मंथन

डीपफेक से निजता को खतरा

डीपफेक के विभिन्न खतरों के बीच व्यक्तियों की निजता के अधिकार का खतरा सबसे अधिक चिंताजनक है, जिसमें कुछ वर्ग विशेष रूप से महिलाओं के लिए बहुत जोखिम हैं

डॉ. वरुण ठाकुर
एसोसिएट प्रोफेसर, विधि संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय

भारत में अभिनेत्री रश्मिका मंदाना से जुड़ी हालिया घटना के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) और डीपफेक तकनीक से जुड़ीं चिंताओं को सार्वजनिक चर्चा में प्रमुख स्थान मिला है। जैसा कि नाम से पता चलता है, डीपफेक तकनीक नकली (सिंथेटिक) छवि या आडियो-वीडियो सामग्री को संदर्भित करती है, जो एक गहन नेटवर्क का उपयोग करके बनाई जाती है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रगति का परिणाम है। अगर दूसरे शब्दों में समझें तो डीपफेक तकनीक सिंथेटिक मीडिया है जिसे अक्सर किसी और की छवि या समानता का उपयोग करके मौजूदा सामग्री के साथ स्वैप करके बनाया जाता है। समानता में चेहरे की विशेषताएं या आवाज शामिल हो सकती हैं। इस तकनीक के माध्यम से किसी व्यक्ति की छवि और आवाज का उपयोग करके मूल सामग्री भी बनाई जा सकती है, जो कुछ ऐसा दिखाती है, जो उसने कभी नहीं किया या कहा, जिससे वास्तविकता में विकृति आती है। डीपफेक की भ्रामक विश्वसनीयता अक्सर व्यक्ति को उस चीज पर विश्वास कराती है, जो सच नहीं है। हाल के एक मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि विज्ञापन के लिए अनिल कपूर की आवाज और उनकी समानता का अनधिकृत उपयोग व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन है।

डीपफेक के विभिन्न खतरों के बीच व्यक्तियों की निजता के अधिकार का खतरा सबसे अधिक चिंताजनक है, जिसमें कमजोर समूह, विशेष रूप से महिलाएं सबसे आगे हैं। महिलाओं जैसे कमजोर वर्गों को डीपफेक उल्लंघनों से भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। टेक्नोलाजी को भद्दे और अपमानजनक सामग्री बनाने के लिए हथियार बनाया जा सकता है, जो निजता और व्यक्तिगत सुरक्षा से संबंधित मौजूदा चुनौतियों को बढ़ा सकता है। इन परिष्कृत हेरफेर से निजता का उल्लंघन, प्रतिष्ठा को नुकसान, भावनात्मक संकट और यहां तक कि शारीरिक नुकसान भी हो सकता है। निजता के विषय पर चर्चा प्राचीन समय से होती आई है। हालांकि निजता की आधुनिक अवधारणा ने 19वीं सदी के अंत में आकार लिया। यह विकसित समझ व्यापक विचार-विमर्श का विषय रही है, जो मानसिक निजता को भी समाहित करती है। सर्वाधिक चर्चित अवधारणा होने के बावजूद 'निजता' की कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है। यह चुनौती लगातार बदलते सामाजिक मूल्यों, आर्थिक परिदृश्य और सांस्कृतिक वातावरण से उत्पन्न होती है, जिससे इस शब्द की एक एकल परिभाषा देना कठिन कार्य बन जाता है। इस जटिलता को संबोधित करने के क्रम में वारेन और ब्रैंडिस (19वीं सदी में निजता के अधिकार के अग्रणी कार्यकर्ता) ने निजता की एक मौलिक परिभाषा सामने रखी, जिसमें निजता को "अकेले रहने देने का अधिकार" बताया। इस क्षेत्र में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा, उन्होंने निजता के दायरे को भौतिक क्षेत्र से बढ़ाकर इसमें मानसिक निजता को भी शामिल कर लिया। जैसा कि उन्होंने सही तर्क दिया है, तकनीकी विकास निजता के अधिकार के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध का उनका यह तर्क वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है, क्योंकि एआइ और डीपफेक जैसी उन्नत टेक्नोलाजी व्यक्तियों की निजता के अधिकार का उल्लंघन करती हैं।

डीपफेक तकनीक के प्रसार ने महत्वपूर्ण चिंताएं पैदा कर दी हैं, जिससे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, दोनों स्तरों पर एक मजबूत नियामक ढांचे की आवश्यकता हो गई है। वर्तमान में डीपफेक द्वारा उत्पन्न बहुमुखी चुनौतियों का समाधान करने वाले व्यापक कानून का उल्लेखनीय अभाव है। हालांकि कैलिफोर्निया, टेक्सस और वर्जीनिया सहित कुछ अमेरिकी राज्यों ने समर्पित कानूनी ढांचे बनाकर इस दिशा में सक्रिय कदम उठाए हैं। ये ढांचे मुख्य रूप से डीपफेक पोर्नोग्राफी से निपटने, व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करने और गलत सूचना के माध्यम से चुनाव में हेरफेर के संभावित खतरे को संबोधित करने पर केंद्रित हैं। ये प्रविधान विशेष रूप से डीपफेक द्वारा निजता के अधिकार को उत्पन्न खतरे को संबोधित नहीं करते हैं।

यूरोपीय संघ के 2023 के अभूतपूर्व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिनियम से प्रेरणा लेते हुए विश्व स्तर पर अधिक समावेशी कानूनी उपायों की आवश्यकता है, जो एआइ को विनियमित करने वाला पहला व्यापक कानून है। भारतीय संदर्भ में मौजूदा कानून और अधिनियम, जैसे कि भारतीय दंड संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) नियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (धारा 66ए, 66बी, 66डी, 67 और 67ए) के कुछ प्रविधान डीपफेक-संबंधित चिंताओं के विशिष्ट पहलुओं को छूते हैं। हालांकि डीपफेक तकनीक की विकसित होती प्रकृति उभरती चुनौतियों से व्यापक रूप से निपटने के लिए अधिक विस्तृत कानूनी ढांचे की मांग करती है। जैसे-जैसे हमारा समाज तेजी से तकनीकी परिवर्तनों से गुजर रहा है, कानूनी ढांचे को गतिशील डिजिटल परिदृश्य के अनुकूल होना चाहिए। इसे आभासी गोपनीयता सहित अधिकारों के नए आयामों के उद्भव को पहचानना चाहिए और पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। अन्य मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण न करते हुए व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी अब न्यायपालिका एवं विधायिका के ऊपर है।

डीपफेक से निपटने के लिए बने कानून। प्रतीकात्मक

मोदी पर आधी आबादी का पूरा भरोसा

स्मृति इरानी

भारत की राजनीति में मोदी एक ऐसा नाम बन गया है जो जनता के बीच भरोसे और विश्वास की गारंटी है

अवधेश राजपूत

दिल्ली के वातानुकूलित कमरों में बैठकर जब स्वयंभू राजनीतिक पंडित राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा की हार की पटकथा लिख रहे थे तब उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि मतदान बूथों पर इन प्रदेशों की महिलाएं, गरीब और मजदूर अपने मतों के प्रयोग से पूरी पटकथा का क्लाइमेक्स छाप रहे थे। क्लाइमेक्स था, जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। प्रधानमंत्री के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मंत्र पर जनता ने मुहर लगा दी। जिन राजनीतिक पंडितों को चुनाव से पहले यह बात समझ नहीं आ रही थी, वे भी नतीजों के बाद इसके विश्लेषण में लग गए। चुनाव नतीजों के यही निहितार्थ हैं कि तीनों राज्यों की महिलाओं ने पीएम मोदी की गारंटी पर पूरा विश्वास जताया है। यह जीत मोदी की गारंटी की जीत है।

मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के नतीजों से यह बात साबित हुई कि जनता ने कांग्रेस की घोषणाओं के मुकाबले मोदी की गारंटी पर अधिक विश्वास जताया। चुनावों के दौरान बड़ी-बड़ी घोषणा करना और सरकार बनने के बाद धन का संकट बताकर वादों को टालना या उन्हें पूरा न करना बहुत आम बात है। इसीलिए घोषणा पत्र को लेकर मतदाताओं में असमंजस की स्थिति थी कि वादा करने वाली पार्टियां अपने वादे पूरे करेंगी या नहीं? मोदी की गारंटी ने मानो मतदाताओं की ऐसी सभी उलझनों को दूर कर दिया। पिछले नौ वर्षों में भारतीय राजनीति में मोदी नाम भरोसे और विश्वास की गारंटी बन गया है। किसी गारंटी के साथ मोदी का नाम जुड़ जाए तो जनता उस पर पूरा भरोसा करती है। यह विश्वास चुनाव परिणामों में दिख रहा है।

इन परिणामों में लोकसभा चुनाव के लिए दूरगामी संदेश निहित है, जिसे विपक्षी दल बखूबी समझ रहे हैं। इस कारण कांग्रेस के सहयोगी दलों में बेचैनी साफ दिख रही है। अब यह कोई प्रश्न ही नहीं बचा कि हिंदी पट्टी में सबसे लोकप्रिय पार्टी कौन है? जनादेश भाजपा को हौसला देने वाला और उसकी ताकत बढ़ाने वाला है। दूसरी ओर विपक्ष की निराशा और हताशा उसे बिखराव की तरफ ले जा रही हैं। हिमाचल और कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद भाजपा के लिए यह नैरेटिव बनाया गया कि प्रधानमंत्री मोदी का जादू सिर्फ लोकसभा चुनावों के दौरान ही चल सकता है, लेकिन इस झूठ की हवा भी निकल गई। लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद भाजपा ने मध्य प्रदेश में एक बार फिर धमाकेदार वापसी की। जबकि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस ने पांच साल में ही सत्ता गंवा दी। इन पांच सालों में भी वहां पार्टी के भीतर सत्ता की बंदरबांट को लेकर खींचतान की कहानियां किसी से छुपी नहीं रहीं। परिणामस्वरूप कांग्रेस को पांच साल में ही सत्ता गंवानी पड़ी। यह बातें दोनों दलों के शासन, माडल और मोदी की गारंटी पर जनता के विश्वास को स्पष्ट करती हैं। मध्य प्रदेश को लेकर यह नैरेटिव बनाया गया कि कांग्रेस पूरे दमखम से चुनाव लड़ रही है और भाजपा पस्त है। ऐसा माहौल बना दिया गया कि कांग्रेस का आना तय है, लेकिन नतीजे कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं थे। कांग्रेस को समझ ही नहीं आया कि इन राज्यों में आधी-आबादी मोदी की गारंटी पर पूरा भरोसा करने लगी है। इस अटल विश्वास के पीछे 2014 से महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रहे प्रधानमंत्री मोदी की नीति थी। ऐसे में मोदी की गारंटी का रिटर्न गिफ्ट बनता था।

कांग्रेस ने राजस्थान में परिवार की महिला मुखिया को दस हजार रुपये सालाना और 400 रुपये में सिलेंडर का वादा किया था। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने महतारी न्याय योजना में सिलेंडर रीफिल पर 500 रुपये सब्सिडी महिला के खाते में पहुंचाने और सक्षम योजना के अंतर्गत कर्ज माफी की घोषणा की थी। ये वादे यकीनन लुभावने थे, पर उनके साथ मोदी की गारंटी नहीं थी। महिलाओं ने भाजपा को चुनकर संदेश दिया कि उन्हें चुनावी वादों के साथ मोदी की गारंटी चाहिए। बार-बार सनातनी विश्वास को ठेस पहुंचाने वाली कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का यही रुख 2024 में भी रहा तो लोकसभा चुनाव में भाजपा का मुकाबला करना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा।

आज यदि भाजपा पर देश भर की महिलाएं अपना विश्वास जता रहीं हैं तो यह पार्टी की एक दिन की मेहनत का परिणाम नहीं, बल्कि नौ वर्षों से देश की बेहतरी के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किए गए निरंतर प्रयासों का प्रतिफल है। उज्ज्वला, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम मातृ वंदन योजना से लेकर महिलाओं के लिए शौचालय तक की चिंता की बात हो, सरकार हर मोर्चे पर मजबूती से महिलाओं के साथ खड़ी नजर आई। सिर्फ उज्ज्वला में ही नौ करोड़ से अधिक मुफ्त गैस सिलेंडर महिलाओं की सुविधा के लिए उनके घर तक पहुंचाया गया। पीएम मातृ वंदना योजना में पहले बच्चे के जन्म पर महिला को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है। मोदी सरकार ने इज्जतघर नाम देकर देश में करीब 11 करोड़ शौचालय बनवाए। प्रधानमंत्री आवास योजना में मालिकाना हक पाने वाली 80 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हैं। मुद्रा योजना में 27 करोड़ से अधिक महिलाओं को ऋण मिला, जिससे उनका सशक्तीकरण हुआ। इसी प्रकार 3.18 करोड़ महिलाओं के लिए सुकन्या समृद्धि योजना खाते खोले गए। दशकों से मुस्लिम परिवारों में चली आ रही तीन तलाक की कुप्रथा को मोदी सरकार ने ही खत्म किया। इसके बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम परिवारों में भी महिलाएं मोदी सरकार की प्रशंसक और भाजपा की मतदाता बनी हैं। हाल में सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में मंजूर कराया, जिससे महिलाओं के लिए संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण का रास्ता साफ हुआ। जब देश में सबका साथ, सबका विकास का संकल्प लेकर चलने वाली एक सरकार हमारे पास है तो फिर कोई दूसरी सरकार क्यों चुने? आज का विमर्श यही बना है। इसके बाद लोकसभा चुनावों के लिए 'अबकी बार 400 पार' सिर्फ नारा नहीं रह गया। यह भारतीय जनमानस का विश्वास है। मोदी की गारंटी पर विश्वास।

(लेखिका केंद्रीय महिला एवं बाल विकास तथा अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री हैं)

response@jagran.com

इसरो 2040 तक भेजेगा चंद्रमा पर पहला अंतरिक्ष यात्री

अगला कदम

इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने एक लेख के माध्यम से दी जानकारी, मिशन के लिए चुने गए वायु सेना के चार पायलट ले रहे हैं प्रशिक्षण

तिरुअनंतपुरम, प्रेट्र : चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी (इसरो) अपने अगले कदम की तैयारी कर रही है। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने मंगलवार को कहा कि इसरो 2040 तक चंद्रमा पर पहला अंतरिक्ष यात्री भेजेगा। उन्होंने कहा कि हम इस योजना पर पूरी तरह से काम कर रहे हैं।

इसरो प्रमुख ने देश के पहले मानवयुक्त मिशन 'गगनयान' पर काम के बारे में बताते हुए कहा कि मिशन के लिए चुने गए भारतीय वायु सेना के चार पायलट बेंगलुरु में अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण सुविधा में प्रशिक्षित किए जा रहे हैं। एक विशेष लेख में उन्होंने बताया कि इसरो का लक्ष्य गगनयान कार्यक्रम के साथ अंतरिक्ष अन्वेषण में अगला कदम उठाना है। इसमें 2 से 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के दल को लो अर्थ में भेजे जाने की योजना है। इसके बाद उन्हें भारतीय जलक्षेत्र में पूर्वनिर्धारित जगह पर सुरक्षित रूप से उतारा जाएगा।

मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन में महत्वपूर्ण तकनीक का विकास शामिल है, जिसमें एक मानव-रेटेड लांच वाहन (एचएलवीएम 3), एक क्रू माड्यूल (सीएम), सर्विस माड्यूल (एसएम) और मानव के रहने के अनुकूल एक आर्बिटल माड्यूल है। क्रू माड्यूल अंतरिक्ष में चालक दल के लिए पृथ्वी जैसे वातावरण वाला रहने योग्य स्थान है और इसे सुरक्षित पुनः प्रवेश के लिए डिजाइन किया गया है। सुरक्षा उपायों में आपात स्थिति के लिए क्रू एस्केप सिस्टम (सीईएस) भी शामिल है।

परीक्षण वाहन (टीवी-डी1) की पहली विकास उड़ान 21 अक्टूबर, 2023 को लांच की गई थी और इसने क्रू एस्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। इसके बाद क्रू माड्यूल को अलग किया गया और बंगाल की खाड़ी से भारतीय नौसेना ने इसे सुरक्षित प्राप्त किया। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि इस परीक्षण उड़ान की सफलता मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए महत्वपूर्ण है।

आदित्य एल1 भी इसरो का एक महत्वपूर्ण मिशन

उन्होंने कहा कि भारत का पहला सौर अन्वेषण मिशन आदित्य एल1 भी इसरो का एक महत्वपूर्ण मिशन है। यह लैग्रेंज पाइंट-1 नामक स्थान से सूर्य पर अध्ययन कर रहा है, जो चंद्र और सौर अनुसंधान दोनों में देश की क्षमता का प्रदर्शन करेगा। सोमनाथ ने कहा कि अंतरिक्ष यान पृथ्वी से लगभग 15 लाख किमी दूर सूर्य-पृथ्वी लैग्रेंज प्वाइंट-1 (एल-1) की ओर अपने लक्ष्य पर है, जहां इसे जनवरी 2024 में हेलो कक्षा में स्थापित किया जाएगा।

इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ

2035 तक चालू हो सकता है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन

सोमनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने वैश्विक स्तर पर भारत की उपस्थिति को और मजबूत करने के लिए 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को चालू करने और वीनस आर्बिटर मिशन और मंगल ग्रह लैंडर की विशेषता वाले अंतरग्रहीय अन्वेषण जैसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम आने वाले वर्षों में नयी ऊंचाइयों पर पहुंचेगा।

****

जम्मू-कश्मीर में आनंद मैरिज एक्ट लागू, सिख समुदाय की लंबित मांग पूरी

अनुच्छेद-370 के कारण प्रदेश में नहीं था लागू, उपराज्यपाल ने दी मंजूरी

अब सिख समुदाय के लोगों की शादी का पंजीकरण इस कानून के तहत होगा

राज्य ब्यूरो, जम्मू

जम्मू-कश्मीर में सिख समुदाय की वर्षों से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए प्रदेश सरकार ने जम्मू कश्मीर में भी आनंद मैरिज एक्ट लागू कर दिया है। अब सिख समुदाय के लोगों की शादी का पंजीकरण इस कानून के तहत होगा। आनंद मैरिज एक्ट देश में पहले से लागू है, लेकिन अनुच्छेद-370 के कारण जम्मू-कश्मीर में यह लागू नहीं था। पांच अगस्त, 2019 को अनुच्छेद-370 समाप्त होने के बाद केंद्रीय कानून जम्मू-कश्मीर में लागू हो गए।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर आनंद मैरिज रजिस्ट्रेशन नियम-2023 को लागू करने को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में प्रदेश सरकार के कानून, न्याय और संसदीय मामलों के विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। आनंद मैरिज एक्ट के तहत प्रमाणपत्र जारी करने के लिए संबंधित तहसीलदार इसके रजिस्ट्रार होंगे। शादी की रजिस्ट्रेशन की तिथि के पंद्रह दिन के भीतर रजिस्ट्रार दोनों पक्षों को आनंद मैरिज के प्रमाणपत्र की दो प्रतियां निश्शुल्क जारी करेंगे।

आनंद मैरिज एक्ट के तहत हो सकेगा पंजीकरण।

प्रदेश में साढ़े छह लाख जनसंख्या

जम्मू-कश्मीर में सिख समुदाय की जनसंख्या करीब साढ़े छह लाख है। जम्मू संभाग के पुंछ, राजौरी, जम्मू और कठुआ जिलों में सिख समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। इसके अलावा कश्मीर में भी करीब 100 गांवों में सिख समुदाय के लोग रहते हैं। सिख समुदाय के विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों ने समय-समय पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात कर आनंद मैरिज एक्ट को लागू करने का मामला उठाया था।

सिख समुदाय ने किया स्वागत

- लंबे समय से आनंद मैरिज एक्ट को लागू करने का मामला उठा रहे नेशनल सिख फ्रंट के चेयरमैन वीरेंद्र जीत सिंह ने खुशी जताते हुए कहा कि इसके लिए लंबी जद्दोजहद की गई। पहले सिख समुदाय की शादियों को हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही पंजीकृत किया जाता था, लेकिन अब सिख समुदाय की शादियां आनंद मैरिज एक्ट के तहत ही पंजीकृत होंगी। अब किसी भी तरह का असमंजस समाप्त हो गया है।
- आल पार्टीज सिख कोआर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन जगमोहन सिंह रैना ने भी आनंद मैरिज एक्ट लागू किए जाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि हम सिख समुदाय की लंबे समय से मांगें उठा रहे थे, जिसमें यह एक प्रमुख मांग थी। सरकार का इस कदम सराहनीय है। जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जम्मू के प्रधान रणजीत सिंह टोहरा ने भी आनंद मैरिज एक्ट लागू होने का स्वागत किया है।

मंदिर व 370 को भाजपा का सांप्रदायिक एजेंडा बताने पर शाह ने जताई आपत्ति

नई दिल्ली, प्रेट्र : लोकसभा में मंगलवार को कुछ तीखी बहस देखने को मिली जब गृह मंत्री अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस के सदस्य सौगत राय द्वारा अनुच्छेद-370 को निरस्त करने, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और समान नागरिक संहिता को भाजपा के सांप्रदायिक और विभाजनकारी एजेंडे के रूप में संदर्भित करने पर आपत्ति जताई। शाह ने पलटवार करते हुए कहा, 'राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार किया गया, अनुच्छेद-370 को निरस्त करने का सुप्रीम कोर्ट ने समर्थन किया है। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सांप्रदायिक एजेंडे पर काम कर रहा है?' गृह मंत्री ने कहा, 'समान नागरिक संहिता को संविधान निर्माताओं ने निदेशक सिद्धांतों में रखा है। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि हमारे संविधान-निर्माता भी सांप्रदायिक एजेंडा अपना रहे थे?'

डेढ़ किमी के दायरे में आते ही ढेर होंगे दुश्मन के ड्रोन और यूएवी

विवेक मिश्र, कानपुर

युद्ध के बदलते स्वरूप के साथ अब सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए ताकत और तकनीक के मेल से देश में ऐसे हथियार तैयार किए जा रहे हैं, जो किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं। रक्षा मंत्रालय के पीएसयू एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड कंपनी (एडब्ल्यूईआइएल), कानपुर मुख्यालय के अधीन आयुध निर्माणी तिरुचिरापल्ली (तमिलनाडु) ने हवाई रक्षा खतरों से निपटने के लिए 25 किलोग्राम वजन की 12.7 मिलीमीटर कैलिबर एयर डिफेंस गन विकसित की है। यह सरहद पार से आने वाले ड्रोन और मानव रहित विमान (यूएवी) को डेढ़ किमी के दायरे में आते ही हवा में प्रति मिनट 800 राउंड गोलियां दागकर उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। जमीन पर एयर डिफेंस गन दो किमी के दायरे में फायरिंग कर सकती है।

यूक्रेन-रूस और इजरायल-हमास युद्ध ने साबित कर दिया है कि जिसकी वायु रक्षा प्रणाली जितनी मजबूत है, वह उतना ही दुश्मन पर भारी पड़ेगा। भारतीय सेना भी वायु रक्षा को विशेष तरजीह दे रही है। पहाड़ की ऊंची चोटियों, मैदान और रेगिस्तान में तैनात हो सकने वाली एयर डिफेंस गन की जरूरत महसूस होने पर सेना ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) से इसकी अपेक्षा की। डीआरडीओ की आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (एआरडीई) ने इस पर 12.7 मिमी कैलिबर की एयर डिफेंस गन का डिजाइन करके एडब्ल्यूईआइएल कंपनी को दी। एआरडीई की डिजाइन पर एडब्ल्यूईआइएल की आयुध निर्माणी तिरुचिरापल्ली के इंजीनियर बेल्ट फेड एयर डिफेंस गन बनाने में कामयाब रहे। जल्द ही यह गन भारतीय सेना के हथियारों में तो शामिल होगी ही, इसको निर्यात करने की प्रक्रिया चल रही है।

अभी तक 40 मिमी कैलिबर की गन बनाती है कंपनी : एडब्ल्यूईआइएल अभी तक लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) कंपनी व भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (बीईएल) के साथ मिलकर 40 मिमी कैलिबर एयर डिफेंस गन का उत्पादन करती आ रही है। यह गन 10 किमी से अधिक दूरी तक हवा में मार करने में सक्षम है। इस गन को सेना की मौजूदा गन से बदलने की प्रक्रिया शुरू होने का दावा किया गया है। बेल्ट फेड एयर डिफेंस गन हल्की होने से उसको ऊंची चोटियों पर आसानी से ले जा पाना संभव है। आयुध निर्माणी को गन की आपूर्ति के लिए सेना से आर्डर भी मिल गया है।

स्वदेशी तकनीक

- एआरडीई ने 12.7 मिमी कैलिबर की एयर डिफेंस गन डिजाइन की, एडब्ल्यूईआइएल ने किया विकसित
- एक मिनट में 800 राउंड दागने वाली 25 किग्रा की गन को ऊंची चोटियों पर ले जाना हो सकेगा आसान

रक्षा मंत्रालय के पीएसयू एडब्ल्यूईआइएल कंपनी द्वारा बनाई गई 12.7 मिमी एयर डिफेंस गन।

वर्तमान समय में हवाई खतरा बढ़ा है, उससे निपटने के लिए हवाई रक्षा हथियारों की मांग भी बढ़ी है। एडब्ल्यूईआइएल ने 40 मिमी कैलिबर के बाद 12.7 मिमी कैलिबर की एयर डिफेंस गन बनाने में सफलता पाई है। जल्द ही मांग के अनुरूप उसका उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा।
– राजीव शर्मा, कार्यकारी निदेशक, लघु शस्त्र निर्माणी, कानपुर।

एक नजर में एयर डिफेंस गन

12.7 मिमी कैलिबर की गन

25 किलोग्राम वजन

1500 मीटर प्रभावी मारक क्षमता

2000 मीटर जमीन पर प्रभावी मारक क्षमता

800 राउंड प्रति मिनट फायरिंग क्षमता

दैनिक जागरण

गणतंत्र दिवस पर जो बाइडन के राजकीय मेहमान होने पर संशय

अमेरिकी राष्ट्रपति को भारत ने किया था समारोह के लिए आमंत्रित

क्वाड देशों की बैठक की तिथि भी आगे बढ़ाई गई

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अगले वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के राजकीय मेहमान बनने की संभावना कम है। भारत सरकार की तरफ से उन्हें आगामी 26 जनवरी के समारोह में राजकीय मेहमान बनने का आमंत्रण दिया गया था। वैसे इस बारे में आधिकारिक तौर पर मंगलवार (12 दिसंबर) तक न तो भारत सरकार ने कुछ कहा है और न ही अमेरिकी प्रशासन ने। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय के सूत्रों की तरफ से यह बताया गया है कि अगले वर्ष की शुरुआत में क्वाड देशों की जो बैठक भारत में कराने की तैयारी थी, वह अब टाल दी गई है। अमेरिका, जापान, आस्ट्रेलिया और भारत के शीर्ष नेताओं की यह बैठक अब बाद में होगी। देखना होगा कि क्वाड की अगली बैठक भारत में आम चुनावों से पहले होती है या बाद में।

नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत एरिक गार्सेटी ने सितंबर, 2023 में कहा था कि पीएम नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपति बाइडन को जनवरी, 2024 में भारत आने के लिए आमंत्रित किया है। इस बारे में पूछने पर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से यही बताया जाता रहा है कि सही समय पर जानकारी दी जाएगी। योजना यह थी कि बाइडन को 26 जनवरी को राजकीय मेहमान बनाया जाए और उसके अगले दिन यानी 27 जनवरी को क्वाड संगठन की शिखर बैठक आयोजित की जाए। यह क्वाड की भारत में पहली बैठक होती। जापान, आस्ट्रेलिया की तरफ से यह बताया गया है कि घरेलू वजहों से वह अगले वर्ष 26 जनवरी को भारत नहीं आ सकते लेकिन 27 जनवरी को शनिवार हैं, इसलिए इस पर विचार किया जा सकता है। बहुत संभव है कि क्वाड की आगामी शिखर बैठक आगामी आम चुनाव के बाद हो। सूत्रों ने बताया- 'क्वाड शिखर बैठक के लिए जो तारीख प्रस्तावित की गई थी, उस पर सहमति नहीं बन पाई है। अब दूसरी तारीख को लेकर चर्चा होगी।' बहरहाल, भारत को अब अगले वर्ष गणतंत्र दिवस के लिए किसी दूसरे मेहमान की तलाश करनी पड़ सकती है। वैसे वर्ष 2021 और वर्ष 2022 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर समारोह का आयोजन बगैर किसी राजकीय मेहमान के ही किया गया था।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन। फाइल

यह भी जानकारी सामने आ रही है कि हाल ही में भारत यात्रा पर आए बाइडन प्रशासन के कुछ अधिकारियों ने सरकार को यह सूचना दी है कि राष्ट्रपति बाइडन के लिए जनवरी, 2024 में भारत दौरे पर आना मुश्किल है। पिछले दिनों जब अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नई दिल्ली आए थे तब यह माना गया था कि वह राष्ट्रपति की भावी यात्रा की तैयारियों के संदर्भ में ही आए हैं। एफबीआइ के निदेशक क्रिस्टोफर रे भी अभी भारत यात्रा पर हैं। यह भी ध्यान रहे कि अमेरिका के सुरक्षा तंत्र से जुड़े इतने सारे अधिकारी यहां तब आ रहे हैं जब अमेरिका ने भारत पर आरोप लगाया है कि भारतीय एजेंसियां खालिस्तानी आतंकी और अमेरिकी नागरिक गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश में शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने मामले की जांच कराने की घोषणा की है।

भारत ने एफबीआइ से खालिस्तान समर्थकों से जुड़ी जानकारी साझा करने को कहा

नई दिल्ली, रायटर: एफबीआइ के निदेशक क्रिस्टोफर ए रे ने एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ मंगलवार को एनआइए मुख्यालय का दौरा किया। यहां उन्होंने एनआइए के महानिदेशक दिनकर गुप्ता और दोनों एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गहन विचार-विमर्श किया। बैठक के दौरान भारत ने उनसे खालिस्तान समर्थकों से जुड़ी जानकारी साझा करने को कहा।

- **एफबीआइ के निदेशक क्रिस्टोफर ए रे ने एनआइए मुख्यालय का किया दौरा**
- **आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर दोनों देशों के अधिकारियों के बीच हुई विस्तृत चर्चा**

एनआइए के महानिदेशक दिनकर गुप्ता ने मंगलवार को एफबीआइ निदेशक क्रिस्टोफर ए रे को मुलाकात के दौरान स्मृति चिह्न भेंट किया। प्रेट्र

एनआइए के अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि बैठक के दौरान एफबीआइ प्रमुख से उत्तरी अमेरिकी देशों (कनाडा) में रहने वाले सभी खालिस्तान समर्थकों के बारे में खुफिया जानकारी साझा करने को कहा है। इसके अलावा, भारत ने एफबीआइ से उन संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में जानकारी साझा करने का भी अनुरोध किया है, जिन्हें हाल के वर्षों में अलगाववादी आंदोलन में भर्ती किया गया है। बैठक के दौरान, आतंकवादी-संगठित आपराधिक नेटवर्क के कृत्यों और गतिविधियों, सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमले में अमेरिका में चल रही जांच, विभिन्न प्रकार के आतंक और साइबर अपराधों की जांच सहित कई मुद्दों पर स्पष्ट और व्यापक चर्चा हुई। इस दौरान एनआइए प्रमुख ने संगठित आपराधिक गिरोह के सदस्यों के साथ आतंकवादी संगठनों और आतंकवादी तत्वों के बीच हो रही सांठगांठ के बारे में भी विस्तार से वार्ता की।

गौरतलब है कि यह अपडेट तब सामने आया है जब हाल ही में अमेरिकी प्रशासन ने एक भारतीय नागरिक और एक भारतीय एजेंसी के अधिकारी के खिलाफ खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या का षड्यंत्र रचने के आरोप लगाए थे। हालांकि, भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसका कड़ा विरोध किया था।

आपराधिक कानूनों को बदलने वाले नए विधेयक लोकसभा में पेश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- नए विधेयकों में किए व्याकरण व भाषा संबंधी बदलाव
- संसद में गुरुवार और शुक्रवार को होगी इन पर चर्चा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शीतकालीन सत्र में मंगलवार को लोकसभा में बोलते हुए। एएनआइ

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आइपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम जैसे आपराधिक कानूनों को बदलने वाले पुराने विधेयकों को वापस लेकर नए विधेयक लोकसभा में पेश किए। इन विधेयकों पर गुरुवार और शुक्रवार को चर्चा होगी और उसके बाद इन्हें पास किया जा सकता है। शाह ने बताया कि पुराने विधेयकों के पांच खंडों में मुख्य रूप से व्याकरण और भाषा संबंधी बदलाव किए गए हैं।

लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने विधेयकों के अध्ययन के लिए अधिक समय की मांग करते हुए इस पर बाद में चर्चा की मांग की। लेकिन शाह ने साफ किया कि मंगलवार को विधेयक की प्रतियां सभी सांसदों को उपलब्ध करा दी गई हैं और गुरुवार को चर्चा शुरू होने से पहले उनके पास 48 घंटे हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से तीनों विधेयक अंग्रेजों के समय 1860 में बने आइपीसी, 1898 में बने सीआरपीसी और 1872 के साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे।

विपक्षी सदस्यों ने इन विधेयकों को विस्तृत विचार-विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भी भेजने की मांग की। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने इन्कार करते हुए कहा कि संसदीय स्थायी समिति पहले ही इन विधेयकों पर विचार-विमर्श कर चुकी है और उसके सुझावों को इनमें शामिल कर लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के मानसून सत्र में इन विधेयकों को लोकसभा में पेश किया था, जहां इसे गृह मंत्रालय से संबंधित स्थायी समिति को व्यापक विचार-विमर्श के लिए भेज दिया गया था।

बदलता कश्मीर

बढ़ती गई तिरंगे की शान, मिट गए 370 के निशान

अनुच्छेद 370 हटाने को 70 साल पहले प्रजा परिषद ने शुरू किया था आंदोलन, प्रदेश की राजनीति में ज्वलंत रहा 370 का मुद्दा अब पूरी तरह से समाप्त

राज्य ब्यूरो, जम्मू

इतिहास के पन्नों में अब गुम हो गए अनुच्छेद-370 को हटाने के लिए जम्मू-कश्मीर में देशभक्तों को 70 वर्ष तक आंदोलन करना पड़ा। प्रदेश में वर्ष 1953 को शुरू हुए प्रजा परिषद के आंदोलन से तिरंगे की शान बढ़ती गई और आखिरकार अनुच्छेद-370 के निशान तक मिट गए। 370 को समाप्त करने को चुनौती देने वालों को दरकिनार कर सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार के निर्णय पर मुहर लगा दी। इसके साथ ही प्रदेश की राजनीति में 70 साल तक ज्वलंत रहा 370 का मुद्दा पूरी तरह से समाप्त हो गया है।

जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी व प्रजा परिषद के संस्थापक पंडित प्रेम नाथ डोगरा ने अनुच्छेद-370 हटाकर देश में जम्मू-कश्मीर के संपूर्ण विलय का सपना साकार करने की मुहिम छेड़ी थी। देश की आजादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम की तरह जम्मू-कश्मीर में भी 370 की समाप्ति के लिए लोगों ने तिरंगे लहराते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। वर्ष 1953 के आंदोलन से लेकर 2008 के श्री अमरनाथ भूमि आंदोलन तक भारत माता की जय के नारे बुलंद करने वाले 28 देशभक्तों ने बलिदान दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जून 1953 में बलिदान दिया था।

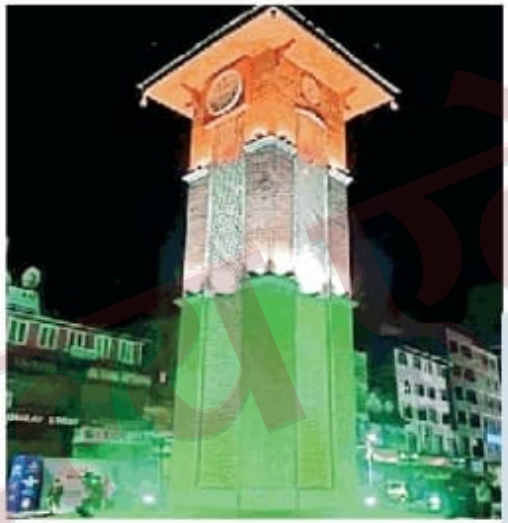

तिरंगे की रोशनी में नहाया श्रीनगर का प्रसिद्ध लालचौक। फाइल

जम्मू के ज्योड़ियां से शुरू हुआ था बलिदान देने का सिलसिला

14 दिसंबर, 1952 को जम्मू के ज्योड़ियां में देश में जम्मू-कश्मीर के संपूर्ण विलय की मांग को लेकर बलिदान देने का सिलसिला शुरू हुआ था। इसके बाद जम्मू-कश्मीर के देश के संपूर्ण विलय के 1953 के आंदोलन में 15 बलिदानियों ने तिरंगा हाथ में लेकर सीने पर गोलियां खाई थीं। जून 1953 को तिरंगे की शान के लिए लड़ रहे जम्मू वासियों के आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी परमिट सिस्टम तोड़ जम्मू-कश्मीर में पहुंचे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 23 जून, 1953 को उन्होंने जेल में बलिदान दिया। वहीं, भूमि आंदोलन में भी 12 लोगों ने बलिदान दिया।

पंडित प्रेमनाथ डोगरा ने रखी थी आंदोलन की नींव

देश के आजाद होने के बाद भी जम्मू-कश्मीर में एक देश-एक विधान-एक निशान का सपना अधूरा था। प्रदेश में अनुच्छेद-370 का प्रविधान होने के कारण शेष देश से कोई भी बिना अनुमति यहां नहीं आ सकता था। यह व्यवस्था जम्मू के लोगों को मंजूर नहीं थी। 1949 में पंडित प्रेमनाथ डोगरा के नेतृत्व में प्रजा परिषद आंदोलन की नींव रखी गई। आंदोलन बढ़ने लगा तो कश्मीर की सरकार हिलने लगी। जम्मू-कश्मीर के देश के साथ संपूर्ण विलय के सपने को मोदी सरकार की ओर से 2019 में साकार किए जाने के बाद देशभक्तों का बलिदान रंग लाया।

बंगाल के सहयोग न करने से बांग्लादेश सीमा पर बाड़ में देरी

यह है स्थिति

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में बताई स्थिति, कहा-सीमा पर बाड़ लगाने का ये प्रोजेक्ट राष्ट्रीय महत्व का, घुसपैठ रोकने को किए गए उपायों, बाड़बंदी और देश में अवैध रूप से घुसे लोगों के आंकड़े पेश किए

माला दीक्षित, नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बंगाल सरकार के सहयोग न करने के कारण बांग्लादेश से जुड़ी भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के काम में देरी हो रही है। केंद्र की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने घुसपैठ रोकने के लिए किए गए उपायों, सीमा पर बाड़बंदी और देश में अवैध रूप से घुसे और रह रहे लोगों के आंकड़े पेश करते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भूमि अधिग्रहण से जुड़े विभिन्न मुद्दों को हल करने में सरकार के सहयोग न करने के कारण जमीन अधिग्रहण में काफी देरी हो रही है। इसके कारण बंगाल से जुड़ी बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने का काम पूरा होने में बाधा आ रही है।

केंद्र ने कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने का यह प्रोजेक्ट राष्ट्रीय महत्व का है। अगर राज्य सरकार बाड़ लगाने के लिए भूमि अधिग्रहित कर सौंपने के काम में सहयोग करती है तो केंद्र बिना देरी के सीमा पर बाड़ लगाने का काम पूरा कर लेगा।

जमीन अधिग्रहण में अड़चन बनी रोड़ा। प्रतीकात्मक

सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बांग्लादेश से जुड़ी सीमा पर बाड़बंदी का ब्योरा देते हुए बताया कि बांग्लादेश से जुड़ी 4,096 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा है। यह सीमा बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम से जुड़ी है। जिसमें बाड़ लगाई जा सकती है, वह भाग करीब 3922 किलोमीटर का है।

उन्होंने कहा कि देश की सीमा को सुरक्षित करने के लिए केंद्र बहुस्तरीय उपाय कर रहा है। करीब 81.5 प्रतिशत बाड़बंदी पूरी हो गई है। असम में 263 किलोमीटर सीमा बांग्लादेश से जुड़ी है जिसमें से 210 किलोमीटर में बाड़बंदी हो गई है, जहां यह कार्य संभव नही है, वहां टेक्नालाजी सोल्यूशन से कवर किया गया है।

केंद्र ने कहा कि बंगाल में भी घुसपैठ समस्या है। बंगाल में 2216 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा बंगालादेश से जुड़ी है जिसमें से जहां संभव है वहां 78 प्रतिशत सीमा पर बाड़बंदी हो चुकी है। 435 किलोमीटर की सीमा बची है जिसमें से 286.35 किलोमीटर का काम भूमि अधिग्रहण के कारण लटका है।

बंगाल सरकार भूमि अधिग्रहण मामले में अभी भी डायरेक्ट लैंड परचेस पालिसी पर चल रही है जो ज्यादा जटिल और धीमी है। सीमा पर बाड़बंदी के राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले में भी बंगाल सरकार इसी रास्ते पर चल रही है और उसके सहयोग न मिलने के कारण इस काम में देरी हो रही है।

संविधान पीठ ने सुरक्षित रखा अपना फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की ओर से पेश ब्योरा देखने और असम में नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए के तहत नागरिकता दिए जाने का विरोध करने वाली याचिकाओं और नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की वैधानिकता पर सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। असम में घुसपैठियों को नागरिकता देने के मामले से संबंधित 17 याचिकाएं लंबित हैं। इनमें नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की वैधानिकता को चुनौती दी गई है। मामले पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एमएम सुंद्रेश, जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने चार दिन तक लंबी सुनवाई की।

नैतिक मूल्यों पर आधारित एआइ पर बने वैश्विक सहमति : पीएम

21 वीं सदी के लिए सबसे बड़ा वरदान या सबसे बड़ा अभिशाप बन सकता है एआइ

<< नई दिल्ली में मंगलवार को एआइ पर वैश्विक साझेदारी सम्मेलन में अभिवादन करते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर उपस्थित रहे। एएनआइ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पीएम नरेन्द्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआइ) के गलत इस्तेमाल को लेकर पूरे विश्व को चेतावनी दी है। उन्होंने वैश्विक समुदाय से नैतिक मूल्यों पर आधारित एआइ के लिए आम सहमति से फ्रेमवर्क बनाने की अपील की है। यहां एआइ पर वैश्विक साझेदारी सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 21वीं सदी के लिए एआइ सबसे बड़ा वरदान बन सकता है तो यह 21वीं सदी को तबाह करने में भी अहम भूमिका निभा सकता है। आतंकियों के हाथ में एआइ के पड़ने के खतरे को लेकर भी पीएम मोदी ने आगाह किया है। उन्होंने कहा कि, 'अगर एआइ से लैस हथियार आतंकियों के हाथ में पड़ जाए तो इससे वैश्विक सुरक्षा को भारी खतरा पैदा हो सकता है।'

मोदी ने कहा, 'एआइ के प्रभाव से कोई भी वंचित नहीं रह सकता। यह मानवता के मूलभूत तत्वों की सुरक्षा में अहम भूमिका निभा सकता है। इसके इस्तेमाल को लेकर बहुत सावधानी की जरूरत है। डीप फेक, डाटा की चोरी, साइबर सिक्यूरिटी जैसी समस्याएं बता रही हैं कि इससे कितनी तरह की चुनौती पैदा हो सकती हैं। भारत की अगुआई में जी-20 शिखर सम्मेलन में तैयार घोषणापत्र में एआइ को लेकर जो बातें कही गई हैं, उसको लेकर अब आगे बढ़ने की जरूरत है। जिस तरह से कई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर देशों के बीच वैश्विक संधियां होती हैं, उसी तर्ज पर एआइ को लेकर भी वैश्विक फ्रेमवर्क की जरूरत है। इसमें बेहद संवेदनशील एआइ के इस्तेमाल को लेकर वैश्विक संधि भी शामिल हो सकती है।'

एआइ के जरिये हेल्थ सेक्टर को पूरी तरह से बदलने पर काम जारी

पीएम मोदी ने कहा, 'भारत नैतिक मूल्यों पर आधारित एआइ को विकसित करने और इसके इस्तेमाल को लेकर प्रतिबद्ध है। हाल ही में सरकार ने किसानों के लिए एआइ आधारित बाट लांच किया है, जिससे उन्हें खेती को लेकर तरह-तरह की जानकारी दी जा सकेगी। भारत सरकार एआइ के जरिये हेल्थ सेक्टर के पूरी तरह से बदलाव पर काम कर रही है। समाजिक विकास में किस तरह से एआइ का उपयोग किया जाए, इस पर भी काम हो रहा है। जल्द ही एआइ मिशन लांच किया जाएगा।'

एआइ में वैश्विक चुनौतियों से निपटने, जीवन बेहतर करने की क्षमता : वैष्णव पेज>>3

कौशिक अकेडमी

सुप्रीम कोर्ट के जजों के बराबर होगा सीईसी और ईसी का दर्जा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) व चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति और सेवा शर्तों से जुड़ा विधेयक मंगलवार को नए बदलावों के साथ राज्यसभा से पारित हो गया। इसके तहत सीईसी व ईसी का दर्जा अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होगा। इससे पहले वाले विधेयक में इनके पद को कैबिनेट सचिव के समकक्ष रखा गया था, जिसका विपक्षी पार्टियों सहित पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने विरोध किया था। इसके बाद राज्यसभा में संशोधित विधेयक पेश किया गया। बावजूद इसके विपक्षी दलों ने इनकी नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किया और विधेयक पारित होने के दौरान सदन से वाकआउट किया।

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्तों व चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और सेवा शर्तों से जुड़ा विधेयक नए स्वरूप में सदन के पटल पर पारित होने के लिए रखा। उन्होंने बताया, देश में पिछले 70 वर्षों से मुख्य चुनाव आयुक्तों और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की व्यवस्था नहीं थी। प्रधानमंत्री इसे लेकर फैसला करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार को इसे लेकर कानून बनाने का सुझाव दिया था। इसके बाद यह विधेयक लाया गया है। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त व चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय कमेटी करेगी। कमेटी में पीएम के अतिरिक्त लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता व पीएम द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री शामिल होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त व चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए एक सर्च कमेटी भी गठित होगी, जिसकी अध्यक्षता कानून मंत्री करेंगे। जो इस पद के लिए उपयुक्त नाम चयनित कर चयन कमेटी के सामने प्रस्तावित करेंगे। राज्यसभा में विधेयक पर चर्चा हुई। विपक्षी दलों ने इसे लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने वाला कदम बताया, वहीं सत्ता पक्ष ने इसे पिछले 70 वर्षों से बगैर किसी कानून के हो रही नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने वाला कदम बताया। चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला ने की। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष चुनाव के लिए चार शब्द चुनाव आयोग के लिए बेहद अहम हैं- निष्पक्षता, निर्भीकता, स्वायत्तता व सुचिता। सरकार जो कानून लाई है, वह इन चारों शब्दों को बुलडोजर की तरह रौंद रहा है। आप सदस्य राघव चड्ढा ने विधेयक को असंवैधानिक बताया। चर्चा में तृकां के जवाहर सरकार, सपा के रामगोपाल यादव ने हिस्सा लिया।

- मुख्य चुनाव आयुक्त व चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों से जुड़ा विधेयक पारित
- कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने विधेयक पारित होने के दौरान किया सदन से वाकआउट

<< संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान मंगलवार को राज्यसभा में बोलते केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। एएनआइ

भजनलाल शर्मा को राजस्थान की कमान

छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरह भाजपा ने राजस्थान में भी मुख्यमंत्री के लिए नए नाम की घोषणा कर चौंकाया

जागरण संवाददाता, जयपुर

सभी कयासों और संभावनाओं को विराम देते हुए भाजपा ने पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा को राजस्थान का नया मुख्यमंत्री घोषित किया है। अपने नाम की घोषणा होने पर कुछ पल के लिए तो खुद शर्मा भी भरोसा नहीं कर पाए। उनके नाम का प्रस्ताव पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने रखा। इसके साथ ही दूसरी बार विधायक बनीं दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। वरिष्ठ विधायक वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष होंगे। शर्मा की जन्मतिथि 15 दिसंबर है, वह अपनी जन्मतिथि पर ही शपथ लेंगे।

विधायक दल का नेता चुनने के लिए मंगलवार को जयपुर स्थित भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में हुई बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा तो खुद शर्मा चौंक गए। शर्मा का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था, जैसे उन्हें खुद विश्वास नहीं हो रहा हो। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने उन्हें मंच पर बुलाया। पार्टी के पांच वरिष्ठ विधायकों ने उनके नाम के प्रस्ताव का समर्थन किया। इस मौके पर पर्यवेक्षक के रूप में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे मौजूद थीं। शर्मा को विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद तीनों पर्यवेक्षक, शर्मा, जोशी, वसुंधरा वर अन्य वरिष्ठ नेताओं ने राजभवन जाकर राज्यपाल कलराज मिश्र से भेंट की। शर्मा ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। 15 दिसंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित अन्य वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हो सकते हैं। विधायक दल की बैठक से पहले हुए फोटो शूट में शर्मा अंतिम पंक्ति में बैठे थे। (मोदी की उपस्थिति में मप्र और छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण आज : पेज-4)

- अपने नाम की घोषणा होने पर कुछ पल के लिए शर्मा भी विश्वास नहीं कर पाए
- विधायकों के फोटो शूट में अंतिम पंक्ति में बैठे थे सांगानेर विधायक भजनलाल
- पहली बार विधायक बने हैं, वसुंधरा राजे ने रखा उनके नाम का प्रस्ताव
- दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को बनाया गया उप मुख्यमंत्री
- आरएसएस पृष्ठभूमि के देवनानी होंगे विधानसभा अध्यक्ष
- शर्मा की जन्मतिथि पर 15 दिसंबर को होगा शपथ ग्रहण

जयपुर में मंगलवार को हुई बैठक में भाजपा विधायक दल की बैठक के दौरान, बाएं से, प्रेमचंद बैरवा, वासुदेव देवनानी, सीपी जोशी, भजनलाल शर्मा तथा दीया कुमारी। प्रेट्र

ब्राह्मण, राजपूत व दलित को नेतृत्व

छत्तीसगढ़ में आदिवासी और मध्य प्रदेश में ओबीसी चेहरे को सीएम बनाने के बाद राजस्थान में सामान्य वर्ग के शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया है। उप मुख्यमंत्री बनीं दीया कुमारी राजपूत और बैरवा दलित समाज से है। देवनानी सिंधी समाज से हैं। भाजपा के सामान्य कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री तक कुर्सी पर पहुंचने वाले शर्मा पहली बार विधायक निर्वाचित हुए हैं। जयपुर की सांगानेर सीट से विधायक बने 54 वर्षीय शर्मा आरएसएस के निकट माने जाते हैं। शर्मा को सीएम बनाने से हमेशा चौंकाने वाले फैसले करने वाली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी एक बार फिर चर्चा में है।

> भाजपा के सभी नेताओं के साथ मिलकर प्रदेश का सर्वांगीण विकास करेंगे। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है, जो अपने कार्यकर्ताओं का ख्याल रखती है। पार्टी ने संगठन के एक छोटे कार्यकर्ता को सम्मानित किया है। मैं इसके लिए आभारी हूं।
>
> -भजनलाल शर्मा

वसुंधरा की पैरवी करने वालों से कहा-आपको ताली बजानी है

राजनाथ ने विधायक दल की बैठक से पहले विधायकों से समूह में मुलाकात की। इस दौरान मौजूद नेताओं का कहना है कि करीब तीन दर्जन विधायकों ने निकट भविष्य में लोकसभा चुनाव और प्रदेश की बिगड़ी आर्थिक हालत को देखते हुए वसुंधरा को सीएम बनाने की पैरवी की। इस पर राजनाथ ने उनसे कहा कि बैठक में वसुंधरा जिस नाम का प्रस्ताव रखें, उस पर आपको ताली बजानी है।

गहलोत ने बधाई दी : राजस्थान के कार्यवाहक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शर्मा को बधाई दी है। गहलोत ने एक्स पर लिखा-आशा करता हूं कि आप राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हुए प्रदेश के विकास की गति को आगे भी बनाए रखेंगे। राजस्थान को देश का नंबर एक राज्य बनाने के लक्ष्य को पूरा करने में भूमिका निभाएंगे।

इन नामों की थी चर्चा : सीएम पद को लेकर सबसे अधिक चर्चा वसुंधरा की थी। उन्हें सीएम नहीं बनाए जाने की स्थिति में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल के नाम चर्चा में थे, लेकिन मोदी और शाह की जोड़ी ने ऐसे नाम का चयन किया, जो चर्चा में ही नहीं था।

'देशभर में घुसपैठियों का आंकड़ा बताना संभव नहीं'

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की वैधता मामले में कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा
- कहा- असम में फारेन ट्रिब्यूनल ने 32,381 लोगों के विदेशी होने की पहचान की
- विदेशियों का पता लगाना, हिरासत में लेना और निर्वासन जटिल प्रक्रिया

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे अवैध प्रवासियों यानी घुसपैठियों का आंकड़ा जुटना संभव नहीं है। नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की वैधता से जुड़े मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दाखिल किया है। इसमें बताया गया कि इस प्रविधान के तहत 17,861 लोगों को नागरिकता प्रदान की गई है। शीर्ष अदालत इस धारा की संवैधानिक वैधता की समीक्षा कर रही है।

केंद्र ने कोर्ट में बताया कि फारेन ट्रिब्यूनल ने असम में 32,381 लोगों की पहचान विदेशी के रूप में की है। सुप्रीम कोर्ट ने सात दिसंबर को केंद्र से आंकड़े पेश करने को कहा था। कोर्ट ने पूछा था कि एक जनवरी 1966 से लेकर 25 मार्च 1971 के बीच असम आने वाले कुल कितने लोगों को नागरिकता अधिनियम 6ए (2) में नागरिकता दी गई। इस पर केंद्र ने बताया कि 31 अक्टूबर 2023 तक 17,861 लोगों ने असम में अपना नाम एफआरआरओ में पंजीकृत कराया है। केंद्र ने कहा, अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों का पता लगाना, उन्हें हिरासत में लेना और निर्वासित करना जटिल प्रक्रिया है। चूंकि देश में ऐसे लोग गुप्त तरीके से और चोरी-छिपे प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे ऐसे अवैध प्रवासियों का सटीक आंकड़ा जुटाना संभव नहीं है। सरकार ने कहा कि 2017 से 2022 तक 14,346 विदेशियों को निर्वासित किया गया है। केंद्र ने कहा, वर्तमान में असम में 100 विदेशी न्यायाधिकरण काम कर रहे हैं। 31 अक्टूबर तक 3.34 लाख से अधिक मामले निपटाए जा चुके हैं। सरकार ने असम पुलिस के कामकाज, सीमाओं पर बाड़ लगाने, सीमा पर गश्त और घुसपैठ रोकने के लिए उठाये गए अन्य कदमों का भी विवरण दिया। (पेज-3 भी देखें)

1985 में हुआ संशोधन

पक्षकारों के वकीलों ने धारा 6ए की वैधानिकता को चुनौती देते हुए कहा कि इसमें नागरिकता देने का कोई मानदंड तय नहीं है। कानून में यह संशोधन 1985 में असम समझौते के बाद हुआ था। इसके तहत 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच जो लोग असम आए थे, उन्हें नागरिकता प्राप्त करने के लिए धारा 18 में अपना पंजीकरण कराना होगा।